चौथी पंचवर्षीय योजना

1969-74

संक्षिप्त प्रारूप

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

अध्याय 1]

भूमिका

अट्ठारह वर्ष पूर्व देश के आर्थिक विकास के लिए आयोजन का सहारा लिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था कि लोगों का रहन-सहन अच्छा हो और उनकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो। एक विशेष लक्ष्य था 1977–78 तक यानी एक ही पीढ़ी के अन्दर देश की प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना। तीनों पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किए गए।

पहली तीन पंचवर्षीय योजनाएं

पहली पंचवर्षीय योजना के तैयार किए जाने के समय देश की हालत बहुत खराब थी। दूसरे विश्वयुद्ध ने देश की अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त करके रख दिया था। इस युद्ध के बाद दूसरी विपत्ति जो देश पर आई वह थी देश का विभाजन। इन दोनों के परिणामस्वरूप देश की जर्जर अर्थव्यवस्था को ठीक करना अत्यन्त जरूरी हो गया। अतः पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को इस दुरवस्था से छुड़ाना था। इसके अलावा, ऐसा ढांचा बनाने का भी लक्ष्य था जो देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक था।

दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–61) में इस काम को और आगे बढ़ाया गया। इसका उद्देश्य था विकास की गति को तेज करना और ऐसा तरीका अपनाना जिससे आर्थिक ढांचे में मूलभूत परिवर्तन की क्रिया शुरू हो। इस योजना की अवधि में कृषि के विकास को प्राथमिकता दी गई परन्तु उद्योगों के विकास पर भी काफी जोर दिया गया। इस योजना के बाद भी खेती की उन्नति पर उत्तरोत्तर अधिक जोर दिया जाता रहा और साथ-साथ औद्योगिक विकास पर भी समाजवादी ढांचे की स्थापना को देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का लक्ष्य माना गया अर्थात् दूसरी योजना के मसौदे के

शब्दों में, "विकास का क्रम और आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे न केवल राष्ट्रीय आय और रोजगार के अवसरों में काफी बढ़ोतरी हो बल्कि विभिन्न वर्गों की आय में समानता आए और किसी वर्ग विशेष के पास धन इकट्ठा न हो. . . .आर्थिक विकास का लाभ समाज के कमजोर वर्गों को अधिकाधिक पहुंचे और आय, धन और आर्थिक शक्ति कुछ ही लोगों के हाथों में न रहकर, समाज के बड़े भाग के हाथों में हो।"

तीसरी योजना (1961-66) में और ऊंचे लक्ष्य रखे गए। देश द्वारा स्वीकृत समाजवादी ढांचे की स्थापना के लक्ष्य के अनुरूप इसका मुख्य लक्ष्य भारत के प्रत्येक नागरिक को अच्छे जीवन की सुविधा देना रखा गया था। इसके लिए सबसे पहले देश में स्वावलम्बी आर्थिक विकास की नींव डालना बड़ा जरूरी था। तीसरी योजना एक दशक के विकास के भरपूर प्रयत्न का पहला कदम था जिससे बाद में देश अपने बल पर आर्थिक विकास के लिए समर्थ हो जाए।

सफलताएं-असफलताएं

पहली योजना निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में काफी हद तक सफल रही। दूसरी योजना की प्रगति भी संतोषजनक रही परन्तु तीसरी योजना की अवधि में देश को असाधारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

पहली कठिनाई यह रही कि इस योजना के 5 में से 3 वर्षों में मौसम बहुत खराब रहा। फिर, योजना के दूसरे और पांचवें वर्ष में देश को चीन और पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप विदेशी सहायता रुक सी गई। रक्षा का व्यय भी बढ़ गया। इन कारणों से तीसरी योजना में विकास की गति धीमी पड़ गई और संतोषजनक प्रगति नहीं हुई।

लगातार दो वर्षों—1965-66 और 1966-67—तक देश के अधिकतर भागों में सूखा पड़ जाने से हमारी खेती की पैदावार बहुत घट गई। जून 1966 में रुपये का अवमूल्यन किया गया। इसके बाद कुछ समय आवश्यक परिवर्तन में लगा। इसके परिणामस्वरूप चौथी योजना को, जो अप्रैल 1966 में शुरू होनी थी, अगले तीन वर्षों तक अन्तिम रूप न दिया जा सका। तीसरी और

चौथी पचवर्षीय योजनाओ के बीच 3 एकवर्षीय योजनाएं (1966–67, 1967–68, 1968–69) चलाई गईं।

तीसरी योजना का लेखा-जोखा

1960–61 के मूल्यो के अनुसार, तीसरी योजना के पहले चार वर्षों मे राष्ट्रीय आय मे 20 प्रतिशत वृद्धि हुई परन्तु आखिरी वर्ष मे इसमें 5 7 प्रतिशत कमी आ गई। परन्तु जनसख्या मे 2.5 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण राष्ट्रीय आय मे नाममात्र की ही वृद्धि हुई। इस प्रकार तीसरी योजना के अन्त मे राष्ट्रीय आय लगभग वही थी जो योजना के आरम्भ मे थी।

तीसरी योजना के पहले तीन वर्षो मे कृषि मे सतोषजनक प्रगति नही हुई। 1964-65 के दौरान अनुकूल मौसम होने के कारण रिकार्ड उत्पादन हुआ। परन्तु उत्पादन की यह वृद्धि अल्पकालिक सिद्ध हुई क्योकि देश के कई भागो मे सूखा पडने के कारण योजना के अन्तिम वर्ष (1965-66) मे और 1966-67 मे कृषि-उत्पादन काफी घट गया। 1967-68 मे स्थिति पुन. सुधर गई; इसका कारण अनुकूल मौसम और उन्नत किस्म के बीज, खाद और कीटनाशक औषधियो का इस्तेमाल था। 1968–69 मे उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ अधिक होने का अनुमान है। इस प्रकार देश में अन्न का उत्पादन, जो 1960–61 मे 8 करोड़ 20 लाख टन था और 1965-66 मे घट कर 7 करोड 20 टन रह गया था, इस वर्ष (1968–69) 9 करोड़ 80 लाख टन होने का अनुमान है।

तीसरी योजना के पहले चार वर्षों मे सगठित उद्योगो के उत्पादन में 8 से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। किन्तु 1965-66 मे पाकिस्तान से युद्ध के कारण वृद्धि की दर केवल 4 3 प्रतिशत रह गई। कुल मिलाकर तीसरी योजना मे विकास की दर 7 9 प्रतिशत रही, जबकि लक्ष्य 11 प्रतिशत का था। आगामी वर्षों मे औद्योगिक उत्पादन मे और कमी आ गई। सरकार द्वारा ऐसे कई कदम उठाए गए जिनके परिणामस्वरूप जनवरी 1968 में कई उद्योगों में उत्पादन बढने लगा।

योजना के दौरान थोक मूल्यों में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उप-

भोक्ता मूल्यों में 45 प्रतिशत की। अगले दो वर्षों के दौरान भी मूल्यों में वृद्धि जारी रही। परन्तु 1968–69 में इनमें कुछ स्थिरता आई। मूल्यों में इस भारी और अप्रत्याशित वृद्धि के कारण गैर-योजना व्यय में भारी वृद्धि हुई।

तीसरी योजना की अवधि में विदेशी विनिमय की स्थिति संतोषजनक नहीं रही और आयात और निर्यात में फर्क बहुत बढ़ गया। विदेशी ऋणों की अदायगी के लिए भी बहुत-सी राशि देनी पड़ी।

आशाजनक संकेत

इन सब के बावजूद तीसरी योजना में और इसके बाद के वर्षों में कई क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति हुई, इसी कारण चौथी योजना सुधार की आशा लिए शुरू हो रही है।

यद्यपि तीसरी योजना के दौरान कृषि-उत्पादन असंतोषजनक रहा। उत्पादन बढ़ाने के जो उपाय शुरू किए गए थे, अब फलने लगे। अधिक उपज देने वाली बीजों की कई किस्में तैयार की गईं। सिंचाई के लिए कई क्षेत्रों में जमीन के नीचे के जल का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। रासायनिक खादों, कीटनाशक औषधियों और अन्य आवश्यकताओं की मांग बहुत बढ़ी है। क्योंकि किसानों को अब अपनी उपज की अधिक कीमत मिलती है, इसलिए वे खेती की नई और उन्नत विधियां अपना रहे हैं। इन सबके परिणामस्वरूप कृषि-उत्पादन में वृद्धि की संभावना बहुत बढ़ गई है।

उद्योगों के क्षेत्र में भी हाल के वर्षों में आई मन्दी के बावजूद कई महत्वपूर्ण उद्योगों में लगातार तरक्की की जा रही है और नई-नई चीजों के कारखाने खुल रहे हैं। इस्पात, अलमुनियम, कई प्रकार के मशीनी औजार, भारी मशीनें, बिजली और परिवहन के उपकरण, खादें, दवाइयां, पैट्रोलियम और पैट्रोलियम-जनित पदार्थ, सीमेंट, खनिज और कई प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पादन की क्षमता बढ़ी है। बिजली के जेनरेटरों की निर्माण-क्षमता में बहुत भारी इज़ाफ़ा हुआ है। इन सब का यह परिणाम हुआ है कि देश का औद्योगिक आधार मजबूत बना है और भविष्य में लगातार औद्योगिक प्रगति करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

यद्यपि कीमतो के बढ़ने से लागत मूल्यो मे वृद्धि हुई परन्तु मन्दी के कारण लागत घटाने पर ध्यान दिया गया है। रुपये के अवमूल्यन के कारण आयातित माल का मूल्य बढ़ गया। देश मे मांग कम होने के कारण कारखाने पूरी क्षमता से नही चल रहे थे अत औद्योगिको ने निर्यात पर ध्यान दिया है। हाल में नए किस्म के माल के निर्यात मे वृद्धि हुई। इससे सकेत मिलता है कि लागत पर ध्यान रखने और कुछ प्रोत्साहन मिलने पर हमारे उद्योग भी अंतर्राष्ट्रीय मण्डी मे अन्य देशो से टक्कर ले सकते हैं।

सभी पचवर्षीय योजनाओ में सहकारियों को मजबूत बनाने का काम किया गया। कई राज्यो मे इस विषय मे अच्छा काम हुआ है। यद्यपि सहकार आन्दोलन के लाभ अभी बडी मात्रा मे जनसाधारण को नही मिले हैं परन्तु कई राज्यो मे इसका उल्लेखनीय लाभ यह हुआ है कि इनसे मध्यवर्गीय किसान साहूकारों के शोषण से बचे हैं और कृषि के विकास की ओर प्रवृत्त हुए हैं। कई राज्यो मे सहकारी बैंकों तथा ऋण समितियों ने ऋण की अच्छी सुविधाएं दी हैं और कुछ मे कृषिजन्य पदार्थ तैयार करने के उद्योगों का विकास हुआ है। हाल के वर्षों मे सहकारी बिक्री सगठनों ने सरकार की खाद्य नीति को लागू करने मे पर्याप्त सहायता दी है।

अध्याय 2

चौथी योजना के उद्देश्य

चौथी योजना देश में आयोजन के स्वीकृत लक्ष्यों की प्राप्ति में अगला क़दम है। इसे तैयार करते समय पहली तीन योजनाओं में हुए अनुभवों को भी ध्यान में रखना है। पिछली योजनाओं से जो महत्वपूर्ण सबक हमें मिला, वह यह है कि आर्थिक प्रगति यदि वर्तमान गति से ही होती रही तो इससे सभी को लाभप्रद रोजगार के अवसर मिलना सम्भव नहीं। जब तक हम इसकी गति को नहीं बढ़ाते, हम देश के लोगों के जीवन में विशेष सुधार भी नहीं ला सकते। दूसरा सबक हमें यह मिला कि यदि देश में अस्थिरता बनी रही तो थोड़ी-बहुत प्रगति जो हम कर सके हैं वह भी सम्भव नहीं होगी। इस अस्थिरता के दो मुख्य कारण हैं: (1) कृषि का पिछड़ापन और (2) विदेशी सहायता पर बहुत अधिक निर्भर रहना।

इसीलिए चौथी योजना में हमारा उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास की रफ्तार को बढ़ाना है। इसमें कृषि-उत्पादन में घट-बढ़ से बचाव के तरीके भी सुझाए गए हैं और विदेशी सहायता सम्बन्धी अनिश्चितता का मुकाबला करने के उपाय भी।

अनिश्चितताओं से बचाव

कृषि-उत्पादन को बढ़ाने के कार्यक्रमों को शुरू करने के अलावा योजना के दौरान देश में अन्न का काफी बड़ा भंडार बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वितरण की ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि अन्न के मूल्य स्थिर रहें और अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि न हो।

जहां तक योजना के लिए धन का प्रश्न है, मूल्य वृद्धि को रोके रखकर देश के अपने साधनों के अधिकाधिक उपयोग पर जोर दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य विदेशी सहायता पर निर्भरता को धीरे-धीरे घटाना है। आयात

केवल अत्यन्त आवश्यक स्थिति में ही करने और निर्यात को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत बढ़ाने का सुझाव रखा गया है।

चौथी योजना में सरकारी उद्यमों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना की अवधि में ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिनसे इनकी कार्यकुशलता बढ़े, वे अधिक लाभ दें और देश के विकास के लिए आवश्यक साधन जुटा सकें।

सामाजिक न्याय और समानता

देश में आयोजन के मुख्य लक्ष्यों में से एक है—विकास के लाभों को सभी वर्गों में समान रूप से बांटना और आर्थिक असमानता को कम करना। चौथी योजना के कार्यक्रमों में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इनके लाभ समाज के सबसे निर्धन और निम्नतम वर्गों को और देश के अविकसित प्रदेशों को भरपूर मिलें।

आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोकने के लिए योजना में कानून बनाने, उद्योगों को लाइसेंस और निर्धारण की व्यवस्था तथा बैंकों के सामाजिक नियन्त्रण की भी बात कही गई है।

पिछड़े वर्गों का कल्याण

छोटे और पिछड़े हुए उत्पादकों की सहायता के लिए प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनाई जाएंगी।

अनुसूचित जातियों को समाज में विशेषकर गांवों में, अन्य वर्गों के बराबर लाने की कोशिश की जाएगी। इन जातियों की स्थिति को सुधारने और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए योजना में कई विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

भूमिहीन कृषि-मजदूरों को भूमि देकर या पशुपालन उद्योग में लगाकर काम देने का प्रस्ताव है ताकि साल के कुछ महीनों में इनके बेकार हो जाने की समस्या न रहे। स्थानीय योजनाओं में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि इन से क्षेत्र विशेष की जरूरतें पूरी हों और साथ-साथ लोगों को रोजगार के अधिक अवसर भी उपलब्ध हों।

विभिन्न राज्यों के बीच और राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों के बीच विषमता को कम करने का प्रयास भी किया जाएगा।

समाज सेवाएं

योजना में इस बात की कोशिश की जाएगी कि यदि राज्यों के वित्तीय साधन इसकी इजाजत दें तो 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी ग्रामीण खण्ड क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। स्वास्थ्य सेवा की आधारभूत इकाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। छूत के रोगों को रोकने और मिटाने के लिए अभियान चलाने की व्यवस्था है।

चौथी योजना में परिवार नियोजन के लिए तीसरी योजना के मुकाबले कई गुनी अधिक राशि निर्धारित की गई है।

रोजगार के अवसर

चौथी योजना में गांव और शहर, दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करने पर जोर दिया जाएगा। ग्रामों में छोटी सिंचाई, भू-संरक्षण, मकान बनाने आदि की योजनाएं चलाई जाएंगी जिनमें ज्यादा आदमियों को काम मिलेगा। इनके साथ-साथ सिंचाई के प्रसार और कई फसल की खेती के फलस्वरूप बहुत-से क्षेत्रों में कृषि-मजदूरों की मांग काफी बढ़ जाएगी।

योजना में निवेश के कारण शहरों में रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर योजना में प्रस्तावित उपायों के परिणामस्वरूप देश में रोजगार की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा।

पंचायती राज संस्थाएं और सहकारिता

क्योंकि अब जिला और स्थानीय स्तर पर आयोजन पर अधिक जोर दिया जाएगा, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि इससे पंचायतों का महत्व बढ़ेगा। जिला योजनाओं के तैयार करने में ये अधिक भाग लेंगे और इनको कार्यान्वित करने का भार भी इनको सौंपा जाएगा।

नियोजित विकास के लिए सहकारों का सर्वांगीण विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जहां सहकारिता नहीं है, वहां इनको कायम करना, प्राथमिक और जिला स्तर की संस्थाओं को संगठित और राज्य और पूरे देश में विभिन्न सहकारी संस्थाओं की गतिविधियों में समन्वय लाना होगा। इसलिए प्राथमिक सहकारों की देखरेख और उन्नति, माल तैयार करने में सहायता और ऋण देने वाली, बिक्री करने वाली तथा उपभोक्ता सहकारी समितियों को जोड़ने आदि के कदम उठाए जाएंगे। बेहतर प्रबंध और इस सम्बन्ध में अधिकारियों को प्रशिक्षण देने और इनके साथ-साथ राज्य तथा राष्ट्रीय संघों को स्वतन्त्रता से अपना काम चलाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।

अत्यन्त ध्यानपूर्वक तैयार की गई पंचवर्षीय योजनाएं भी अप्रत्याशित घटनाओं और देश की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होती हैं। यद्यपि आयोजन का आधार योजना ही होगी तथापि इसका कार्यान्वयन प्रतिवर्ष वार्षिक योजनाएं बनाकर किया जाएगा। वार्षिक योजनाएं बनाने का मुख्य उद्देश्य योजना में निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार विकास कार्यों को वर्ष भर चालू रखना है। वार्षिक योजनाओं में परिव्यय के आकार तथा आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप कार्यक्रमों को ढालने का सुभीता रहेगा। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष के अनुभवों, उपलब्ध साधनों और वित्तीय साधनों को ध्यान में रखकर वार्षिक योजना में कार्य-पद्धति के निर्धारण में सहायता मिलेगी।

निवेश का स्वरूप
तीसरी और चौथी योजना में

कुल निवेश

तीसरी योजना : 10,400 करोड़ रुपये
चौथी योजना : 22,252 करोड़ रुपये
[निजी क्षेत्र : 10,000 करोड़ रुपये
सरकारी क्षेत्र : 12,252 करोड़ रुपये]

करोड़ रुपये
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

कृषि तथा सामुदायिक क्षेत्र — 1460; 3467 (1667 + 1800)
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण — 650; 950
बिजली — 1062; 2135 (2085 + 50)
ग्राम और लघु उद्योग — 425; 684 (184 + 500)
उद्योग तथा खनिज — 2570; 5205 (3055 + 2150)
परिवहन और संचार — 1736; 4143 (3133 + 1010)
समाज सेवाएं और अन्य कार्यक्रम — 1697; 3908 (1178 + 2730)
अन्य — 800; 1760

अध्याय 3

योजना की रूपरेखा

योजना का आकार और परिव्यय का ढंग

चौथी योजना मे 24,398 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की व्यवस्था है। इसमे से 14,398 करोड रुपये सरकारी क्षेत्र मे और 10,000 करोड रुपये निजी क्षेत्र मे लगाए जाएंगे। सरकारी क्षेत्र के कुल परिव्यय में से, जो कि 14,398 करोड रुपये का है, 12,252 करोड रुपये निवेश के लिए रखे गए हैं और शेष 2,146 करोड रुपये चालू व्यय के लिए। इस प्रकार उत्पादन पूजी के लिए कुल निवेश 22,252 करोड रुपये का होगा। तीसरी योजना में यह 10,400 करोड रुपये का था।

विकास मे लगाई जाने वाली पूंजी मे स्थानीय संस्थाओं के अधिकांश व्यय शामिल नही हैं जो कि उनके अपने साधनो से विकास योजनाओं पर खर्च होंगे। विकास सेवाओं की व्यवस्था पर और पहले की तथा तीनों एकवर्षीय योजनाओं की अवधि (1966-69) मे स्थापित संस्थाओं के लिए भी सामान्य बजट मे धन रखा गया है। उनके लिए योजना में अलग से कोई राशि निर्धारित नही की गई।

पृष्ठ 12-13 पर दी गई सारणी मे विकास के विभिन्न मदों पर सरकारी और निजी क्षेत्र मे किए जाने वाले पूजी निवेश का ब्यौरा दिया गया है।

(करोड़ रुपये)

क्रम सं० विकास की मद	सरकारी क्षेत्र			निजी क्षेत्र के निवेश	सरकारी और निजी क्षेत्र	
	कुल परिव्यय	चालू परिव्यय	निवेश		कुल निवेश	कुल परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
1. कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र	2,217	550	1,667	1,800	3,467	4,017
2. सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	964	14	950	—	950	964
3. बिजली	2,085	—	2,085	50	2,135	2,135
4. ग्राम तथा लघु उद्योग	295	111	184	500	684	795
5. उद्योग तथा खनिज	3,090	35	3,055	2,150	5,205	5,240
6. परिवहन तथा संचार	3,173	40	3,133	1,010	4,143	4,183
7. शिक्षा	802	539	263	50	313	852
8. वैज्ञानिक अनुसंधान	134	41	93	—	93	134
9. स्वास्थ्य	437	305	132	—	132	437
10. परिवार नियोजन	300	250	50	—	50	300
11. जलपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था	339	2	337	—	337	339
12. मकान निर्माण तथा शहरी विकास	171	—	171	2,680	2,851	2,851

13. पिछड़े वर्गों का कल्याण	134	134	—	—	—	134
14. समाज कल्याण	37	37	—	—	—	37
15. श्रमिक कल्याण तथा शिल्पिक प्रशिक्षण	37	18	19	—	19	37
16. अन्य कार्यक्रम	183	70	113	—	113	183
17. इन्वेन्ट्रीज (भंडार)	—	—	—	1,760	1,760	1,760
कुल	14,398	2,146	12,252	10,000	22 252	24,398

पूंजी निवेश की पद्धति सामान्यतः तीसरी योजना के समान है, चौथी योजना में भी उद्योग तथा खनिजों के विकास को पहला स्थान दिया गया है। कुल निवेश का 23.4 प्रतिशत इन मदों के विकास पर लगाया जाएगा। इसके बाद परिवहन और संचार का नम्बर आता है जिस पर कुल निवेश का 18.6 प्रतिशत भाग खर्च होगा। इसके बाद हैं समाज सेवाएं (17.5 प्रतिशत), कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र (15.6 प्रतिशत)।

कृषि पर निवेश इस क्षेत्र में होने वाला पूरा व्यय नहीं है। इस क्षेत्र में कृषि पुनर्वित्त निगम, कृषि उद्योग निगम, भूमि विकास बैंकों आदि द्वारा किया जाने वाला निवेश शामिल नहीं है। योजना में निर्धारित परिव्यय के अतिरिक्त इन संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला निवेश 1,015 करोड़ रुपये का होगा।

सरकारी क्षेत्र का परिव्यय

नीचे दी हुई सारणी में चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र में किए जाने वाले परिव्यय का ब्यौरा है। इसके साथ ही तीसरी योजना और तीनों एकवर्षीय योजनाओं में विकास की विभिन्न मदों पर किया गया व्यय भी दिखाया गया है:

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	विकास की मद	तीसरी योजना	1966–69 (अनुमानित)	चौथी योजना
	1	2	3	4
1.	कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र	1,089.0	1,166.6	2,217.5
2.	सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	663.7	457.1	963.8
3.	बिजली	1,252.3	1,182.2	2,084.5

1	2	3	4
4. ग्राम तथा लघु उद्योग	240.8	144.1	294.7
5. उद्योग तथा खनिज	1,726.3	1,575.0	3,089.9
6. परिवहन तथा सचार	2,111.7	1,239.1	3,173.1
7. शिक्षा	588.7	322.4	801.6
8. वैज्ञानिक अनुसन्धान	71.4	51.1	134.0
9. स्वास्थ्य	225 9	140.1	437.5
10. परिवार नियोजन	24.9	75.2	300.0
11. जलापूर्ति तथा सफाई	105.7	100.6	338.9
12. मकान निर्माण तथा शहरी विकास	127.5	63.4	170.7
13. पिछड़े वर्गों की भलाई	99.1	68.5	134.3
14. समाज कल्याण	19.4	12.1	37.1
15. श्रमिक कल्याण तथा शिल्पिक प्रशिक्षण	55.8	35.5	37.1
16. अन्य कार्यक्रम	175.0	123.5	182.8
कुल	8,577.2	6,756.5[1]	14,397.6

सरकारी क्षेत्र में किए जानेवाले कुल परिव्यय—14,398 करोड़—में से 7,207 करोड़ केन्द्रीय योजनाओं, 727 करोड रुपये केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं, और 6,066 करोड रुपये राज्यों की ओर 398 करोड़ रुपये केन्द्र-शासित क्षेत्रों की योजना के लिए रखे गए हैं।

1. वास्तविक व्यय इससे कम ही रहेगा।

चौथी योजना में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में परिव्यय
(करोड़ रुपयों में)
सरकारी तथा निजी क्षेत्र
20·4%
4981 Cr.
50·7%
12353
28·9%
7064
24,398 रुपये
सरकारी क्षेत्र
22·1%
3181
60·0%
8643
17·9%
2574
14,398 रुपये
कृषि तथा सिंचाई
उद्योग, बिजली तथा परिवहन
समाज सेवाएं तथा अन्य

विकास की दर

चौथी योजना में प्रस्तावित निवेश के कार्यक्रम और 1973-74 तक विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन के लक्ष्य को आधार मान कर अनुमान किया जाता है कि चौथी योजना के दौरान विकास की सामान्य दर प्रतिवर्ष साढ़े पांच प्रतिशत के लगभग होगी। 1967-68 के मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय आय जो 1967-68 में 27,933 करोड़ थी, 1973-74 में बढ़कर 38,100 करोड़ हो जाएगी।

रजिस्ट्रार जनरल के अनुमानों के अनुसार भारत की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। यह 1973-74 में बढ़कर 59 करोड़ 60 लाख हो जाएगी, जबकि 1967-68 में यह केवल 51 करोड़ 40 लाख थी। चौथी योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय के 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ने का अनुमान है, अर्थात् 1973-74 तक प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 639 रुपये हो जाएगी जबकि 1967-68 में यह 543 रुपये ही थी। विकास की निर्धारित दर प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि देश में बचत की दर को, जो कि 1967-68 में 8 प्रतिशत थी, बढ़ा कर 12.6 प्रतिशत किया जाए और योजना के अन्त तक निवेश को 11.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 13.8 प्रतिशत किया जाए। अन्न उत्पादन का योजना में निर्धारित लक्ष्य यह है कि 1970-71 तक विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े। योजना में गैर-खाद्यपदार्थों के आयात को घटाकर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक लाने का और निर्यात में 7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप योजना के आखिरी वर्ष में विदेशी ऋण की अदायगी और इस पर ब्याज की राशि को छोड़ कर बाकी विदेशी सहायता की मात्रा वर्तमान से आधी हो जाएगी।

योजना के साधन

चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र में शुरू की जानेवाली योजनाओं की वित्त व्यवस्था इस प्रकार होगी:

(करोड़ रुपये में)

1. जीवन बीमा निगम के ऋणों और राज्यों के उद्योगों द्वारा बाजार से लिए गए ऋणों को छोड़कर, बजट के स्रोत	7,982
1968-69 के करों की दरों से चालू राजस्व में बचत	2,455
सरकारी उद्योगों से प्राप्त होने वाली बचत	1,730
रिजर्व बैंक के प्रतिभूत लाभ	165
केन्द्र और राज्य सरकारों के बाजार से ऋण (शुद्ध)	1,166
अल्प बचत	800
वार्षिकी जमा अनिवार्य जमा, इनामी बांड और स्वर्ण बांड (–)	`104
राज्य भविष्य निधियां	640
फुटकर पूंजीगत प्राप्तियां (शुद्ध)	1,130
2. जीवन बीमा निगम से ऋण तथा राज्य उद्यमों का बाजार से ऋण (कुल)	343
3. विदेशी सहायता के बराबर बजट प्राप्तियां (शुद्ध)	2,514
कुल बजट स्रोत	10,839
अतिरिक्त साधन	2,709
घाटे की वित्त व्यवस्था	850
कुल साधन	14,398

बजट साधन

चालू राजस्व से बचत का बहुत भाग केन्द्र के साधनों से ही मिलेगा क्योंकि राज्य सरकारों का अंशदान केवल 100 करोड़ रुपये ही होगा। हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मैसूर ही ऐसे राज्य हैं जो निश्चित रूप से अंशदान देंगे। रियायती दर पर अनाज देने के लिए चौथी योजना में कोई राशि नहीं रखी गई।

सरकारी उद्योगों से प्राप्त होने वाली 1,730 करोड़ रुपये की बचत का ब्यौरा इस प्रकार है. रेलों से 265 करोड़, डाक व तार से 225 करोड़, अन्य केन्द्रीय उपक्रमों से 685 करोड़ और राज्य सरकारों के उद्योगों से 555 करोड़।

104 करोड़ रुपये की कमी वार्षिकी जमा की योजना के समाप्त कर देने के कारण है। इसमें अनिवार्य बचत योजना के अधीन वापस दिया जाने वाला 28 करोड़ रुपया भी शामिल है।

"फुटकर पूँजीगत प्राप्तियों" में अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र से लिए गए ऋणों की अदायगी है।

"जीवन बीमा निगम से ऋण तथा राज्य उद्यमों का बाजार से ऋण" शीर्षक के अधीन 343 करोड़ रुपये की जो राशि आती है उसमें से 96 करोड़ रुपये मकान निर्माण और जलापूर्ति के लिए राज्य सरकारों को जीवन बीमा निगम से ऋण है, 116 करोड़ रुपये राज्य निगमों द्वारा बाजार से लिए गए ऋण हैं, शेष 131 करोड़ रुपये राज्य उद्यमों को जीवन बीमा निगम से दिए गए ऋण हैं।

विदेशी सहायता

चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र में कुल विदेशी सहायता का अनुमान 3,730 करोड़ रुपये है। विदेशी ऋणों की अदायगी के 1,216 करोड़ रुपये घटाने पर (1,036 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार तथा 180 करोड़ रुपये सरकारी उद्यमों द्वारा) योजना के लिए उपलब्ध शुद्ध विदेशी सहायता अनुमानत: 2,514 करोड़ रुपये होगी।

घाटे की बजट व्यवस्था

वित्तीय व्यवस्था में 850 करोड़ रुपये की व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा की जाएगी। चौथी योजना में शुद्ध आय की वृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अनुमान है कि चलन में और वृद्धि उचित होगी। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था को और गतिशील बनाने के लिए घाटे की व्यवस्था जरूरी हो सकती है। घाटे की व्यवस्था किस सीमा तक की जाए इसका निर्णय स्थितियों को देखकर ही किया जाएगा।

अतिरिक्त साधन

चौथी योजना के लिए अतिरिक्त साधनों से लगभग 2,700 करोड़ रुपये जुटाए जाने का अनुमान है। इस रकम में से राज्य सरकारों ने 1,100 करोड़ रुपये जुटाने का संकेत किया है और शेष 1,600 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार जुटाएगी। इस राशि में केन्द्र के अतिरिक्त कराधान में राज्यों का अंश भी है। इसके अतिरिक्त योजना में अतिरिक्त साधन जुटाने के निम्नलिखित तरीके सुझाए गए हैं: (क) सरकारी उद्यमों का संचालन कुशल तथा लाभकारी ढंग से करना, (ख) अल्प बचत को बढ़ाना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और (ग) अतिरिक्त कर लगाना, विशेष रूप से कृषि आय पर और शहरी जायदादों की कीमतों पर।

निजी क्षेत्र में निवेश

मोटे तौर पर अनुमान है कि चौथी योजना में निजी क्षेत्र में 13,900 करोड़ रुपये की बचत होगी। घरेलू और सहकारी क्षेत्र से 12,040 करोड़ और 1,860 करोड़ रुपये कम्पनियों से प्राप्त होंगे। केन्द्रीय और राज्य सरकारें अपने उद्योगों के लिए निजी बचत की इस मद से 3,930 करोड़ लेंगी। इस प्रकार निजी उद्योगों में निवेश के लिए निजी बचत से 9,970 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। निजी क्षेत्र को विदेशों से सीधे प्राप्त होने वाली शुद्ध राशि को जोड़ कर निवेश के लिए उपलब्ध कुल साधन 10,000 करोड़ रुपये के होंगे।

बचत तथा निवेश

ऊपर दिए गए अनुमानों के आधार पर चौथी योजना की अवधि में 19,700 करोड़ रुपये की घरेलू बचत होगी। इसमें से 13,900 करोड़ निजी क्षेत्र से और 5,800 करोड़ सरकारी क्षेत्र से मिलेंगे। घरेलू बचत को इस मात्रा तक बढ़ाने के लिए 1968-69 में बचत की 9 प्रतिशत औसत दर को बढ़ाकर योजना के अन्त तक 12.6 प्रतिशत कर देना होगा।

इसी प्रकार योजना में प्रस्तावित निवेश के आकार से यह बात स्पष्ट है कि 1968-69 में 11.8 प्रतिशत की औसत निवेश दर को योजना के अन्तिम वर्ष तक 13.8 प्रतिशत तक कर देना होगा।

कुछ लक्ष्य और अनुमान

योजना में विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य और अभीष्ट परिणामों का उल्लेख आगे दी गई सारणी में किया गया है:

क्रमांक	मदें	इकाई	1960–61 वास्तविक	1965–66 वास्तविक	1968–69 अनुमानित	1973–74 लक्ष्य/अनुमान
	1	2	3	4	5	6
	कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र					
1.	अन्न उत्पादन	करोड़ टन	8.2	7.2	9.8	12.9
2.	गन्ना (गुड़ में)	"	1 12	1 21	1 2	1.5
3.	चीनी	हजार टन	—	—	2,248[1]	4,700
4.	तेलहन	लाख टन	70	63	85	105
5.	कपास	लाख गाठें	53	48	60	80
6.	गुड़	लाख टन	—	—	9.2[1]	11.5
7.	पटसन	लाख गाठें	41	45	62	74
8.	चाय	हजार टन	321	365	418	450
9.	तम्बाकू	"	307	298	380	480
10.	अधिक उपज देने वाली किस्में (जितनी भूमि में बोई गईं)	लाख हेक्टर	—	—	85	241
11.	खादों की खपत नाइट्रोजनी,	हजार टन	210	550	1,400	700

1	2	3	4	5	6
फास्फेटी	हजार टन	70	130	400	1,800
पोटाशी	„	26	80	180	1,100
12. पौध संरक्षण (जितनी भूमि में)	करोड़ हैक्टर	.65	1.66	5.4	8
13. प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों से थोड़ी और मध्यम अवधि के ऋण	करोड़ रु०	202	342	450	750
14. कृषि सहकारी समितियों की सदस्यता	करोड़ में	1.7	2.6	3	4.2
15. कुल सिंचित क्षेत्र					
वड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं द्वारा	करोड़ हैक्टर	1.31	1.52	1.7	2.12
छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा	„	1.48	1.7	1.9	2.22
16. विजली के पम्पों की संख्या	हजारों में	191.8	513.4	1,069	1,240
उद्योग व खनिज					
17. इस्पात की सिलें	लाख टन	35	65	65	108
18. तैयार इस्पात	„	—	—	41.5[1]	81
19. मिश्र तथा विशेष इस्पात	हजार टन	—	40	43	270
20. अल्मूनियम	„	18.2	62.1	120	220
21. मशीनी औजार	करोड़ रुपये	7	29	25	65

1	2	3	4	5	6
22. सल्फ्यूरिक एसिड	हजार टन	368	662	1,020	3,500
23. कास्टिक सोडा	"	101	218	314	500
24. सोडा ऐश	"	152	331	390	550
25. कच्चा तेल साफ करने की क्षमता	लाख टन	60.9[2]	97.5[2]	161.3[2]	260
26. कच्चा पेट्रोल	लाख टन	4	30	58	97
27. पेट्रोल पदार्थ	"	—	—	138[1]	260
28. कागज तथा गत्ता	हजार टन	350	560	640	960
29. अखबारी कागज	"	—	—	30[1]	150
30. प्लास्टिक	"	9.5	31.3	53	210
31. खाद का उत्पादन					
नाइट्रोजनी	"	101	232	550	3,000
फास्फेटी	"	53	123	220	1,500
32. सीमेंट	लाख टन	80	108	125	180
33. कपड़ा					
मिल का बना	करोड़ मीटर	464.9	440.1	440	510
कृत्रिम रेशों का	"	54.6[2]	87[2]	97.5	150

1	2	3	4	5	6
हथकरघा, बिजली का करघा और खादी	करोड़ मीटर	206.7	314.1	340	425
34. लौह अयस्क	लाख टन	110	245	260	534
35. कोयला (लिग्नाइट को छोड़ कर)	„	557	677	695	935
बिजली					
36. प्रस्थापित क्षमता	लाख किलोवाट	56	102	145	220
37. बिजली उत्पादन	अरब किलोवाट/घंटे	—	—	44[1]	82
परिवहन					
38. ढोया गया माल	करोड़ टन	15.6	20.3	20.3	26.5
39. पक्की सड़कें	हजार किलोमीटर	236	287	317	367
40. व्यापारिक वाहन	हजारों में	225	233	380	585
41. जहाज	लाख जी० आर० टी०	9	15	21	35
शिक्षा					
42. सामान्य शिक्षा (स्कूलों में विद्यार्थी)	लाखों में	447	648	752	972

1	2	3	4	5	6
43. तकनीकी शिक्षा					
प्रवेश क्षमता					
स्नातक	हजारों में	13.8	24.7	25	25
डिप्लोमा	"	25.8	48	48.6	48.6
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन					
44. रोगीशय्याएं	हजारों में	185.6	240.1	255.7	231.6
45. काम कर रहे डाक्टर	"	70	86	102.5	137.9
46. परिवार नियोजन केन्द्र					
ग्रामीण		1,100	3,676	4,840	5,225
शहरी		549	1,381	1,856	1,856

1. 1967–68 के वास्तविक
2. वर्ष विशेष के लिए

अध्याय 4

कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र

सरकारी क्षेत्र में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए कुल 2,217 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है। इसमें से राज्यों का अंश 1,524 करोड़ रुपये का होगा।

परिव्यय का ब्योरा नीचे सारणी में दिया गया है।

कार्यक्रम	तीसरी योजना (1961-66)	तीन एकवर्षीय योजनाएं* (1966-69)	चौथी योजना (1969-74)
			(करोड़ों में)
1. कृषि उत्पादन (अनुसंधान और शिक्षा से सम्बन्धित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यक्रमों सहित)	203	252	510
2. लघु सिंचाई	270	314	476
3. भूमि संरक्षण	77	88	151
4. विकास क्षेत्र	2	13	29
5. पशुपालन	43	34	91
6. डेयरी और दूध सप्लाई	34	26**	45
7. मछलीपालन	23	37	84
8. वन	46	44	92
9. भंडार और बिक्री	27	15	65
10. खाद्य पदार्थ और सहायक खाद्य पदार्थ की तैयारी	—	—	19
11. वित्तीय संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता (कृषि क्षेत्र)	—	40***	263

* 1966–67 के लिए वास्तविक, 1967–68 के लिए पुनरीक्षित अनुमान और 1968–69 की व्यय-व्यवस्था।

** केन्द्र में पशुपालन का व्यय शामिल है।

*** भूमि विकास बैंकों के ऋणपत्रों के सहायक परिव्यय अन्तर्निहित हैं।

1	2	3	4
12. कृषि जिंसों के सुरक्षित भंडार (बफर स्टाक)	—	140	125
13. सहकारिता	76	64	151
14. सामुदायिक विकास और पंचायतें	288	99	116
कुल	1,089	1,166	2,217

योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि करना है। प्रयत्न किया जाएगा कि ग्रामीण जनता विकास-कार्यों में पूरा-पूरा भाग ले और इससे लाभान्वित हो। इसीलिए कृषि विकास के कार्यक्रम दो तरह के तैयार किए गए है—एक, जिनसे कृषि-उत्पादन अधिकाधिक हो और दूसरे, जिनसे देश में फैली असमानताएं कम हों।

अन्न उत्पादन का लक्ष्य इस उद्देश्य से तैयार किया गया है कि हमें अधिक समय तक रियायती दरों पर अन्न का आयात न करना पड़े। लम्बे रेशे वाले कपास को छोड़कर दूसरे कृषि-पदार्थों का आयात जल्दी से जल्दी यथासम्भव घटाने का प्रयास किया जाएगा। योजना के कृषि-उत्पादन के लक्ष्यों और 1968-69 में हुए कृषि-उत्पादन का ब्यौरा नीचे सारणी में है।

उत्पादन के मुख्य लक्ष्य

	जिंस	इकाई	1968–69 उत्पादन (अनुमानित)	1973–74 उत्पादन (अनुमानित)
1.	खाद्यान्न	करोड़ टन	9.8	12.9
2.	तेलहन	"	.85	1.05
3.	गन्ना (गुड़)	"	1.2	1.5
4.	कपास	लाख गाठें	60	80
5.	पटसन	"	62	74
6.	तम्बाकू	करोड़ किलोग्राम	38	48
7.	नारियल	करोड़ों में	560	660
8.	सुपारी	हजार टन	126	150
9.	काजू (गिरी में)	"	160	236
10.	काली मिर्च	"	23	42
11.	लाख	"	35	52

भरपूर खेती

कृषि भूमि में बढ़ोतरी की सम्भावना बहुत कम है इसलिए अन्न उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें भरपूर खेती को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा।

अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक उन्नत किस्म के बीज, खाद और ऋण आदि की व्यवस्था करने के लिए, संस्थाओं का जाल बिछाया जाएगा। 'खाद

और दूसरे आवश्यक पदार्थ किसानों को मुहैया कराने के लिए एक खाद ऋण गारंटी निगम स्थापित किया जाएगा जिसका काम किसानों को यह चीजें दिलाना और ऋण आदि की सुविधाएं प्राप्त कराना होगा।

बढ़िया बीजों के उत्पादन और वितरण की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी और इस कार्य में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय बीज निगम की सहायता ली जाएगी। तराई में एक बहुत बड़ा बीज फार्म स्थापित किया जाएगा।

रासायनिक खादों के उत्पादन में लगभग तीन गुनी वृद्धि की जाएगी। चौथी योजना के अन्त में रासायनिक खादों की माग इस प्रकार रहेगी: नाइट्रोजनी 37 लाख मीट्रिक टन, फास्फेटी 18 लाख मीट्रिक टन, और पोटाशी 11 लाख मीट्रिक टन।

एक नए कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरों से निकलने वाले कूड़े-करकट से बढ़िया किस्म की कम्पोस्ट खाद तैयार की जाएगी।

कृषि उद्योग निगम किसानों को किश्तों पर कृषि में काम आने वाली मशीनें, तकनीकी तथा अन्य किस्म की सेवाएं उपलब्ध कराएगा। ऐसे निगमों

5

को जो कि इस समय 12 राज्यों में काम कर रहे हैं और मजबूत बनाया जाएगा। इसके अलावा चौथी योजना की अवधि में शेष राज्यों में भी ऐसे निगमों की स्थापना की जाएगी। ट्रैक्टर निर्माण उद्योग पर से नियन्त्रण हटा लिया गया है ताकि ट्रैक्टरों की मांग पूरी की जा सके। चौथी योजना के अन्त तक यह मांग 90 हजार के लगभग तक पहुंच जाएगी।

अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रसार को "बहुत अधिक बढ़ाने" का प्रस्ताव भी है। लगभग 2 करोड़ 41 लाख हैक्टर भूमि में अधिक उपज देने वाली फसलें बोई जाएंगी। आशा है कि इससे अतिरिक्त उत्पादन का दो-तिहाई भाग प्राप्त होगा।

लगभग 90 लाख हैक्टर भूमि में एक से अधिक फसलें उगाने का कार्यक्रम चलाया जाएगा।

आठ करोड़ हैक्टर भूमि में पौध संरक्षण कार्य शुरू किया जाएगा।

सरकारी खर्च का बहुत बड़ा भाग तालाबों और ट्यूबवैलों को बनाने में, जिन्हें किसान अकेले नहीं लगवा सकते, किया जाएगा। सहकारियों से ऋण लेने के नियम ऐसे बनाए जाएंगे जिससे छोटे किसानों को लाभ हो। छोटे किसानों की समस्याओं को समझा जाएगा और उन्हें खेती की अधिकाधिक सुविधाएं दी जाएंगी और ऋण की व्यवस्था बेहतर बनाई जाएगी। इसके लिए शुरू में प्रयोग के तौर पर 20 चुने हुए जिलों में छोटे किसानों की विकास संस्थाएं बनाई जाएंगी। यदि प्रयोग सफल रहा तो ऐसी संस्थाएं प्रत्येक जिले में स्थापित की जाएंगी।

क्षेत्रीय विकास योजनाएं भी चालू की जाएंगी और मुख्य क्षेत्रों में बड़ी सिंचाई योजनाएं चला कर किसानों को पानी दिया जाएगा। योजना में सूखे इलाकों, रेगिस्तानों और नदियों के बीहड़ों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

योजना की अवधि में 10 लाख हैक्टर भूमि को सुधार कर कृषियोग्य बनाया जाएगा।

कृषि अनुसंधान

चौथी योजना में कृषि में अनुसन्धान का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। देश में कृषि-अनुसंधान और कृषि-शिक्षा की महत्वपूर्ण संस्था भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को और सुदृढ किया जाएगा और इसे अनुसन्धान आदि का काम बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। परिषद के कार्यों में अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती की समस्याओं के सुलझाने और महत्वपूर्ण फसलों और नकदी फसलों के विकास का काम मुख्य होगा।

कृषि शिक्षा के लिए वर्तमान 9 कृषि विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ किया जाएगा। 4 और विश्वविद्यालय भी चौथी योजना की अवधि में स्थापित किए जाएंगे।

कपास, पटसन, तेलहन, गन्ना और आलू जैसी नकदी फसलों के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनकी समस्याओं के निमित्त चलाए गए अनुसन्धान कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी। फसलों की ऐसी किस्में उगाने का भी प्रयत्न किया जाएगा जिनसे पैदावार भी अधिक हो और इनके तैयार होने मे समय भी कम लगे।

ऋण, बिक्री तथा भण्डार सुविधाएं

यथासम्भव कोशिश यह की जाएगी कि कृषि के लिए धन संस्थाओं की मार्फत ही दिया जाए। सरकार द्वारा सीधे दिए जाने वाले ऋणों में ज्यादा से ज्यादा कमी की जाएगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहकारी संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा ताकि चौथी योजना के अन्त तक 750 करोड रुपये के अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण दिए जा सकें।

खाद्य निगम, राज्य व्यापार निगम और सहकारी बिक्री संगठनों को मजबूत बनाया जाएगा ताकि ये संस्थाएं जो खरीदारियां करती हैं, उनसे प्राथमिक उत्पादकों को भी लाभ प्राप्त हो।

भण्डार और गोदाम की सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। इसके लिए 45 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इससे देश मे 30 लाख मीट्रिक

टन अनाज जमा करने और 2 लाख टन खाद को सम्भाल कर रखने की समुचित व्यवस्था की जा सकेगी। इसके अलावा केन्द्रीय गोदाम निगमों, राज्य गोदाम निगमों और सहकारी क्षेत्र में गोदाम की सुविधाओं का विस्तार करने की भी व्यवस्था की गई है।

पशुपालन

योजना में 1973–74 तक दूध के उत्पादन को 2 करोड़ 50 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। चौथी योजना की अवधि में पशुओं की नस्ल सुधारने की परियोजना में पशुओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। इन परियोजनाओं को, जिनकी संख्या इस समय 31 है, बढ़ाकर 46 कर दिया जाएगा। इसके अलावा 20 मध्यम श्रेणी की पशु-नस्ल-सुधार परियोजनाएं भी शुरू की जाएंगी।

छोटी डेरियों द्वारा सेवित मुख्य ग्राम योजनाएं 490 खंडों में लागू हैं। योजना के दौरान 60 नए मुख्य ग्रामखण्ड बनाए जाएंगे।

3 केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म तथा 8 सांड प्रजनन फार्म स्थापित किए जाएंग। किसानों को दुधारू पशु खरीदने के लिए सहकारियों द्वारा दी जाने वाली ऋण की सुविधाओं में और वृद्धि की जाएगी।

चारा और पशुओं के लिए अन्य खाद्य सामग्री प्राप्त कराने का कार्य पशु-नस्ल-सुधार परियोजनाओं और मुख्य ग्रामखण्डों के अधीन और अधिक तेज किया जाएगा। घास की किस्म अच्छी करने पर भी बल दिया जाएगा और चारे की कमी होने पर इसकी मांग पूरी करने के लिए 5 चारा बैंकों की स्थापना की जाएगी।

महत्वपूर्ण देशी नस्लों और उच्च किस्म की ऊन देनेवाली नस्ल की भेड़ों के विकास के लिए योजना के दौरान 8 बड़े भेड़पालन फार्म स्थापित किए जाएंगे जिनमें 5 से 15 हजार तक भेड़ें होंगी। पशमीना, अंगोरा आदि नस्लों के ऊन और गोश्त के लिए भेड़पालन फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है।

श्रेष्ठ नस्लें तैयार करने के लिए 3 केन्द्रीय और 10 राज्यीय फार्मों में एक समन्वित मुर्गीपालन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अण्डों और मुर्गे-मुर्गियों का उत्पादन भी काफी बढ़ाया जाएगा और कलकत्ता में एक बड़ा स्वचालित मुर्गीपालन संयन्त्र स्थापित किया जाएगा।

10 हजार परिवारों को सस्ते दामों पर सूअर बांटे जाएंगे। ये परिवार सूअरपालन का धन्धा परम्परागत ढंग से करते आ रहे हैं। सूअर के मांस के 4 कारखाने—दो सरकारी क्षेत्र में और दो निजी क्षेत्र में—स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए सूअरों के विकास हेतु अतिरिक्त 25 सूअर विकास फार्म भी स्थापित किए जाएंगे।

चौथी योजना की अवधि में 200 नए पशु चिकित्सालय, 1,000 औषधालय, 2,000 पशुपालन केन्द्र और 60 चलते-फिरते चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान 500 औषधालयों को अस्पतालों में बदला जाएगा और रोग फैलाने वाले कीटाणुओं सम्बन्धी अनुसन्धान करने के लिए 60 अनुसन्धान-शालाएं भी स्थापित की जाएंगी।

पहले की तीन योजनाओं में इस बात का प्रयास किया गया था कि एक लाख और उससे अधिक आबादी वाले नगरों को दुग्ध-उत्पादन योजनाओं के अन्तर्गत लाया जाएगा। मार्च 1969 तक इस प्रकार की सुविधाएं 91 नगरों, उपनगरों में उपलब्ध थीं। चौथी योजना में इस कार्यक्रम का विस्तार छोटे नगरों में भी किया जाएगा। 24 नई योजनाएं ऐसे शहरों में शुरू की जाएंगी जिनकी आबादी 50 हजार से कम है। इसके अलावा 61 ग्रामीण दुग्ध-उत्पादन केन्द्र भी संगठित किए जाएंगे। दुग्ध-पदार्थों को ठण्डा रखने और इसके वितरण की व्यवस्था जुटाना इनका मुख्य उद्देश्य होगा।

छोटे उत्पादकों को सहकारी संस्थाओं के रूप में संगठित किया जाएगा और उन्हें सरकारी क्षेत्र में स्थापित दुग्ध कारखानों के साथ सम्बद्ध किया जाएगा। दुग्ध-उत्पादन योजनाओं में प्रबन्ध के आधुनिक तरीके शुरू किए जाएंगे।

मछलीपालन

1961 में देश में कुल 9 लाख 60 हजार टन मछली पकड़ी गई थी जबकि 1968 में यह बढ़कर 14 लाख टन हो गई। 1961 में कुल 4 करोड़ रुपये के मूल्य के मछली पदार्थों का निर्यात किया गया था जबकि 1968 में देश ने मछली पदार्थों के निर्यात से 18 करोड़ रुपये कमाए। चौथी योजना में सागर

की मछली के उत्पादन को 4 लाख 40 हजार टन और देश के अन्दर पकड़ी जाने वाली मछली के उत्पादन को 33 हजार टन और वढ़ाने का प्रस्ताव है।

योजना में मछली पालने और पानी के वेकार पड़े जलाशयों को मछलीपालन के उपयुक्त वनाने और मछली पालने के लिए वड़े-वड़े जलाशय वनाने का भी प्रस्ताव है। इस अवधि में मछली तैयार करने के लिए मछली के 50 करोड़ वच्चे जलाशयों में पाले जाएंगे। तीसरी योजना के अन्त में देश में 550 हैक्टर का विस्तृत मछली नर्सरी क्षेत्र था। चौथी योजना में 900 हैक्टर के अतिरिक्त नर्सरी क्षेत्र तैयार करने का भी प्रस्ताव है।

30 हजार 300 हैक्टर क्षत्र में सघन मछलीपालन करने का कार्यक्रम भी चौथी योजना में शुरू किया जाएगा। इसके अलावा 3 लाख हैक्टर विस्तृत भूमि में मछलीपालन के लिए जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। 6 हजार हैक्टर खारे पानी में उपयुक्त किस्म की मछलियां पाली जाएंगी।

हिन्द महासागर का क्षेत्र लगभग 7 करोड़ 25 लाख 20 हजार वर्ग किलोमीटर है। अभी तक इसका वहुत कम लाभ उठाया गया है। चौथी योजना में समुद्र में विशेषकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर अधिक जोर दिया जाएगा। इस समय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए कुल 7,800 यन्त्र-चालित नौकाएं हैं और इनमें से अधिकतर निजी क्षेत्र में हैं। इनमें 5,500 नौकाओं की वृद्धि की जाएगी। 300 मध्यम दर्जे की ट्रालियां भी चलाई जाएंगी।

मछली पदार्थों की हाट व्यवस्था में सुधार करने के लिए और इसे मजवूत वनाने के लिए केन्द्रीय और राज्यीय मछलीपालन निगम के कार्य में विस्तार किया जाएगा और मछली की विक्री का नियमन किया जाएगा। इस समय जितनी मछली पकड़ी जाती है उसके केवल 3 प्रतिशत की विक्री सहकारी संस्थाओं द्वारा होती है। सहकारी मछुवा संघों को और अधिक मात्रा में मछली पकड़ने और उसे वेहतर ढंग से वेचने आदि की व्यवस्था करने के उद्देश्य से इन संघों को और मजवूत किया जाएगा।

मछली पदार्थों को जमा तथा सुरक्षित रखने और डिव्वावन्द करने की सुविधाओं में सुधार करने के उद्देश्य से 10 वड़े संयंत्र, 73 शीतगार और वर्फ

बनाने के कारखाने लगाए जाएंगे। मछली पदार्थों को देश मे भिन्न स्थानों तक लाने, ले जाने के लिए और अधिक सख्या मे शीतित रेल के डिब्बो का निर्माण करने की भी व्यवस्था की गई है।

वन

योजना में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि देश जितनी जल्दी सम्भव हो सके, वन उत्पादनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ले ताकि वनो से प्राप्त उत्पादन पर निर्भर उद्योग—विशेषकर लकड़ी का गूदा, कागज, अखबारी कागज, पेनल बोर्ड और माचिसों के लिए कच्चा माल बाहर से न मंगाना पड़े।

वनों से कृषि और उद्योगो की तत्कालीन और दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने का विशेष प्रयास किया जाएगा। वन उत्पादनो मे वृद्धि करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर उगनेवाले तथा आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बागान लगाए जाएंगे। वर्तमान वन संस्थानों का पूरा-पूरा उपयोग किया जाएगा।

वन उत्पादन में समन्वित अनुसन्धान कार्यक्रम केन्द्र द्वारा स्थापित अनुसन्धानशालाओं मे किया जाएगा और राज्यो को इस कार्य मे हो रही प्रगति एव लाभ से अवगत कराया जाएगा। गोहाटी एव जबलपुर मे नए क्षेत्रीय अनुसन्धान क्षेत्र खोले जाएंगे।

सहकारिता

चौथी योजना में प्रस्तावित 'स्थिरता के साथ विकास' के ध्येय को ध्यान में रखते हुए सहकारिता के विकास मे कृषि सहकारो और उपभोक्ता सहकारों को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। किसानों को दी जानेवाली सेवाएं बडी सुगमतापूर्वक और कम से कम समय में उन्हे प्राप्त हो सकेंगी। योजना मे इस बात की ताकीद की गई है कि सहकारी संस्थाओं को एक प्रभावशाली भूमिका निभानी है और इसके लिए उन्हे पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो।

सहकारों को सहायता इस प्रकार दी जाएगी कि वित्त, संगठन और व्यापार से सम्बन्धित कर्मचारियों जैसे महत्वपूर्ण मामलों मे उन्हे किसी किस्म का अभाव महसूस न हो।

सहकारी ऋण आन्दोलन के सामने एक मुख्य काम है, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का पुनर्गठन और सुव्यवस्था। इसी प्रकार का सुधार घाटे में जा रहे या कमजोर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में भी करना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में और शाखाएं खोलने के लिए सहकारी बैंकों को पर्याप्त सहायता दी जाएगी। 1973-74 तक लगभग 7 अरब 50 करोड़ रुपये के अल्पकालीन और मध्यमकालीन ऋण देने का लक्ष्य है।

भूमि विकास बैंकों को भी पर्याप्त रूप से विस्तृत करने का विचार है। इसके अलावा इसका उद्देश्य यह भी है कि ये बैंक कृषि के लिए महत्वपूर्ण भूमि-सुधार और भू-संरक्षण जैसी योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहायता दें।

विभिन्न स्तरों पर सहकारी बिक्री ढांचे को मजबूत बनाने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। 1973-74 में बिक्री और माल तैयार करने वाले सहकारों द्वारा अनुमानतः 900 करोड़ रुपये के मूल्य के कृषि पदार्थ बेचे व तैयार किए जाएंगे।

90 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत से कांडला में एक सहकारी खाद कारखाना लगाया जा रहा है। ऐसा ही एक और कारखाना महाराष्ट्र में भी स्थापित किया जा रहा है। आशा है कि 1973–74 तक सहकारी समितियां लगभग 650 करोड़ रुपये के उर्वरक, 50 करोड़ रुपये मूल्य के उन्नत किस्म के बीज, 50 करोड़ रुपये मूल्य के कीटनाशक और 15 करोड़ रुपये के मूल्य के औजार खरीदने बेचने लगेंगी।

आशा है, योजना की अवधि में सहकारी समितियां लगभग 20 लाख टन के अतिरिक्त भण्डार बनाने में समर्थ हो जाएंगी।

नए उपभोक्ता सहकार स्थापित करने के बजाय वर्तमान उपभोक्ता सहकारों में विभिन्न स्तरों पर संगठन और अन्य सम्बद्ध बातों में सुधार करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

पांच राज्यों में प्रयोग के तौर पर ग्रामीण बिजली सहकारों की स्थापना योजना के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। कृषि तथा कृषि-उद्योगों के लिए बिजली देना और बिजली की सप्लाई में लोगों को सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित करना सहकारों के लक्ष्यों में से एक है।

राज्यों की योजनाओं में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिए कुल मिलाकर 84 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

खाद्य

चौथी योजना में खाद्य नीति के मुख्य उद्देश्य ये हैं: (क) उपभोक्ता मूल्यों की स्थिरता सुनिश्चित करना और विशेष रूप से कम आय वाले उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना; (ख) उत्पादकों के लिए उचित मूल्य निश्चित करना और उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना; और (ग) अनाजों का पर्याप्त सुरक्षित भण्डार यानी 'बफर स्टाक' बनाना ताकि कम और बढ़ती या गिरती कीमतों का मुकाबला किया जा सके। देश में 50 लाख टन अनाज के सुरक्षित भण्डार बनाने का लक्ष्य है। इससे वर्ष भर में उत्पादन की कमी और उससे उत्पन्न होने वाली कीमत की बढ़ती को रोकने में सफलता प्राप्त की जा सकेगी।

रियायती दरों पर अनाज के लिए गए आयात को 1970-71 तक बन्द कर देने का विचार है इसलिए सुरक्षित भंडार बनाने और अनाज के सार्वजनिक वितरण की समुचित व्यवस्था के लिए इस स्टाक को देश में ही अनाज की वसूली से भरा और बनाया जा सकता है। योजना में प्रतिवर्ष 80 लाख से 1 करोड़ टन तक अनाज की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उचित दर दूकानों की व्यवस्था को धीरे-धीरे उपभोक्ता सहकारी स्टोरों या बहुमुखी समितियों की अधिकृत दूकानों के रूप में बदलने का विचार है। यही स्टोर या दूकानें अनाज के वितरण का काम मुख्य रूप से सम्भालेंगी।

अनाज को देश के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने या लाने पर लगाए गए क्षेत्रीय प्रतिबन्ध, जैसे-जैसे देश में अन्न का अधिक उत्पादन होगा और सुरक्षित भंडार बढ़ेगा, क्रमशः ढीले कर दिए जाएंगे।

खाद्य निगम खुले बाजार में अनाज की अधिकाधिक वसूली का काम करेगा। अपने कार्य में इसे और अधिक स्वायत्तता और अधिकार दिए जाएंगे।

पोषाहार

चौथी योजना में एक समन्वित पोषाहार कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।

नई योजनाएं कम ही चलाई जाएंगी। कुछ योजनाओं को पोषाहार की कमी, अंधेपन या प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए चलाया जाएगा। ऐसे इलाकों में जहां पर अपोषण की समस्या बहुत गम्भीर है कई विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिनके द्वारा छोटे बच्चों, गर्भवती स्त्रियों और गोदवाली माताओं को पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था की जाएगी। यह कार्यक्रम बालवाड़ियों के महत्वपूर्ण अंग होंगे।

इस समय देश में 26 हजार 500 टन बाल आहार तैयार होता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समय कम से कम एक करोड़ स्कूली बच्चे आते हैं। चौथी योजना में ऐसे स्कूली बच्चों की संख्या डेढ़ करोड़ तक बढ़ जाएगी।

समाज को पोषण के महत्व से अवगत कराने, माताओं को पोषण सम्बन्धी शिक्षा देने और खाने-पीने की आदतों में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से व्यावहारिक पोषण का कार्यक्रम चलाया जाएगा। महिलाओं और स्कूल-पूर्व बच्चों के लिए एक नया समन्वित कार्यक्रम सामुदायिक विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें महिला मंडलों द्वारा महिलाओं को पौष्टिकता सम्बन्धी शिक्षा दी जाएगी और महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण और प्रदर्शन का काम सिखाया जाएगा।

बच्चों को विटामिन ए की कमी के कारण होनेवाले अंधेपन से बचाने के लिए एक नई योजना चलाई जाएगी जिसके अन्तर्गत 5 वर्ष या इससे कम की आयु वाले लगभग 1 करोड़ 60 लाख बच्चों को लाभ पहुंचेगा।

अध्याय 5

सिंचाई व बिजली

अनुमान है कि भारत के सतही जल के कुल संसाधन 6 करोड़ हैक्टर भूमि में सिंचाई की सुविधाओं के लिए पर्याप्त हैं। देश मे भूमिगत जल के संसाधन 2 करोड़ 20 लाख भूमि में सिंचाई के लिए समर्थ हैं। 1968-69 तक देश में 3 करोड़ 76 लाख हैक्टर भूमि के लिए सिंचाई की सुविधाओ का विकास किया जा सकेगा। इसमे से 2 करोड़ 67 लाख हैक्टर भूमि सतही पानी और 1 करोड़ 9 लाख हैक्टर भूमि भूमिगत पानी से सिंचित होगी। योजना में यह प्रस्ताव है कि शेष सिंचाई क्षमता के विकास का काम अगली कुछ योजनाओं में किया जाए। सतही जल से सिंचाई क्षमता के विकास का काम लगभग 15 वर्ष में पूरा होगा जबकि भूमिगत जल से सिंचाई क्षमता के विकास का काम लगभग 20 वर्ष में।

चौथी योजना में सिंचाई की सुविधाप्राप्त भूमियों से अधिकाधिक उत्पादन लेने का लक्ष्य है।

योजना मे छोटी सिंचाई योजनाओं को ग्रामीण योजनाओं से सम्बद्ध किया जाएगा ताकि इसका उपयोग कुओं या ट्यूबवैलों को चालू करने मे किया जा सके। ग्रामीण बिजली योजनाओं मे मुख्य ध्यान इस तरफ दिया जाएगा कि गांव मे बिजली लगाने के काम की अपेक्षा ट्यूबवैलों को बिजली देने के काम को तरजीह दी जाए।

बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाएं

योजना मे बडी और मध्यम सिंचाई योजनाओ पर कुल 857 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें से 717 करोड रुपये से कुछ अधिक की राशि चालू योजनाओं के विकास के लिए रखी गई है—617 करोड़ रुपये बडी और 100 करोड़ रुपये मध्यम योजनाओं के लिए।

नई सिंचाई योजनाएं, जिन पर लगभग 650 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है, चौथी योजना के उत्तरार्ध में शुरू की जाएंगी । इन योजनाओं के काम को पांचवीं योजना के दौरान भी जारी रखा जाएगा । चौथी योजना में इन सिंचाई योजनाओं के लिए 97 करोड़ रुपये की राशि सुरक्षित रखी गई है । इसका दो-तिहाई भाग बड़ी योजनाओं पर और बाकी छोटी योजनाओं पर खर्च किया जाएगा ।

राज्यों में शोधकार्य के लिए 26 करोड़ 70 लाख रुपये रखे गए हैं जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए गए शोध और डिजाइन तैयार करने की योजनाओं के लिए 15 करोड़ 50 लाख ।

अनुमान है कि इन सभी योजनाओं के परिणामस्वरूप देश में 57 लाख हैक्टर अतिरिक्त भूमि के लिए सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी ।

छोटी सिंचाई योजनाएं

चौथी योजना की अवधि में छोटी सिंचाई योजनाओं पर कुल 475 करोड़ 70 लाख रुपये खर्च होंगे । इसमें से 461 करोड़ 40 लाख रुपये राज्यों में,

6 करोड़ 30 लाख रुपये केन्द्रशासित क्षेत्रों मे और 8 करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा खर्च किए जाएंगे।

उपरोक्त राशि का आधे से अधिक भाग जलाशयो, ट्यूबवैलों, नदियों से पानी पम्प करने की योजनाओं और नदियो के मार्ग बदलने की योजनाओं मे, जो कि राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही हैं, व्यय होगा। इसके अलावा पचायती राज और अन्य कई संस्थाओं का विकास भी इसी राशि मे से किया जाएगा। लगभग 60 करोड़ रुपये सहायता व तकावी ऋण देने मे खर्च किए जाएगे।

इस समय 7 लाख 40 हजार पम्पसेटो और ट्यूबवैलों को बिजली के कनेक्शन दिए जाने हैं।

सरकारी गैरसरकारी और सस्थागत पूंजी निवेश से चलाई जानेवाली छोटी सिंचाई योजनाओं के परिणामस्वरूप 32 लाख हैक्टर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होने का अनुमान है।

बाढ़ नियंत्रण

योजना के दौरान बाढ नियन्त्रण योजनाओं पर 107 करोड रुपये खर्च किए जाएगे।

अनुमान है कि लगभग 1 करोड़ 60 लाख हैक्टर भूमि में बाढ का प्रकोप होता है। चौथी योजना के शुरू में बाढ़ नियत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 62 लाख हैक्टर भूमि की बाढ से रक्षा की गई। अब 1,200 किलोमीटर लम्बे पुश्ते, 2,500 किलोमीटर लम्बे नाले बनाकर और 40 नगर-रक्षण योजनाएं चलाकर 15 लाख हैक्टर अतिरिक्त भूमि को बाढ के प्रकोप से बचाने का प्रस्ताव है। वैज्ञानिक ढंग से बाढ़ का पहले से पता लगाने और बाढ के फलस्वरूप जान-माल की हानि को कम करने के लिए एक योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

1968-69 के अन्त तक 6,370 वर्ग किलोमीटर मे भूमि संरक्षण के कार्यक्रम शुरू किए जाएगे ताकि बड़े-बड़े जलाशयों मे तलछट जमा न हो जाए। चौथी योजना के दौरान 5,000 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र मे भूमि सरक्षण कार्यक्रम चलाए जाएगे जिन पर 27 करोड़ रुपये की लागत आने की सम्भावना है।

नई सिंचाई योजनाएं, जिन पर लगभग 650 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है, चौथी योजना के उत्तरार्ध में शुरू की जाएंगी। इन योजनाओं के काम को पांचवीं योजना के दौरान भी जारी रखा जाएगा। चौथी योजना में इन सिंचाई योजनाओं के लिए 97 करोड़ रुपये की राशि सुरक्षित रखी गई है। इसका दो-तिहाई भाग बड़ी योजनाओं पर और बाकी छोटी योजनाओं पर खर्च किया जाएगा।

राज्यों में शोधकार्य के लिए 26 करोड़ 70 लाख रुपये रखे गए जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए गए शोध और डिजाइन तैयार करने

योजनाओं के लिए 15 करोड़ 50 लाख।

अनुमान है कि इन सभी योजनाओं के परिणामस्वरूप देश में 5 हैक्टर अतिरिक्त भूमि के लिए सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी

छोटी सिंचाई योजनाएं

चौथी योजना की अवधि में छोटी सिंचाई
70 लाख रुपये खर्च होंगे। इसमें से 461 कर

योजना की अवधि में क्षेत्रीय बिजली प्रणालियों को परस्पर सम्बद्ध करके बिजली का अखिल भारतीय 'ग्रिड' (बिजली प्रणाली) तैयार करने का प्रस्ताव है।

योजना में एक ग्राम विद्युतीकरण निगम बनाने के लिए 45 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गई है। इस निगम से राज्य बिजली बोर्डों को ऋण की सुविधाएं प्राप्त होंगी जिससे वे 5 लाख अतिरिक्त पम्पसेटों को बिजली देने के अपने काम को पूरा कर सकें। इसके अलावा योजना में ग्रामीण बिजली सह-कारों की स्थापना का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

बिजली उत्पादन के परिव्यय के परिणामस्वरूप बिजली की शुद्ध प्रस्थापित क्षमता 145 लाख किलोवाट से बढ़कर 220 लाख किलोवाट हो जाएगी, जिसमें से 93 लाख किलोवाट की प्रस्थापित क्षमता पनबिजलीघरों से, 117.2 लाख किलोवाट तापबिजलीघरों से और 9 8 लाख किलोवाट परमाणु बिजली-घरों से प्राप्त होगी।

बिजली

1968–69 के अन्त तक देश में बिजली-उत्पादन की कुल प्रस्थापित क्षमता 1 करोड़ 45 लाख किलोवाट थी जो कि 1960–61 की कुल प्रस्थापित क्षमता से तिगुनी है।

सरकारी क्षेत्र में बिजली के लिए चौथी योजना में 2,085 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इस परिव्यय का व्यौरा इस प्रकार है : बिजली-उत्पादन 1061 करोड़, पारेषण तथा वितरण 645 करोड़, ग्रामीण बिजली योजनाएं 363 करोड़, अनुसंधान तथा विविध कार्यों के लिए 16 करोड़। इसमें से 50 करोड़ रुपये की राशि निजी क्षेत्र द्वारा जुटाए जाने की आशा है।

योजना की अवधि में व्यास, यमुना, रामगंगा, उकई, श्रावती, इडिक्कि और वालिमेला जैसी बड़ी पनबिजली और संतलडीह, कोत्तगूडेम, नासिक, कोराडी और धुवारण आदि तापबिजली योजनाओं में बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा।

केन्द्रीय क्षेत्र की चालू योजनाओं में न्येवेलि के तापबिजलीघर में जिसकी वर्तमान क्षमता 500 मेगावाट है, 1969-70 में 100 मेगावाट क्षमता वाला नौवां एकांश चालू हो जाएगा। दामोदर घाटी निगम कार्यक्रम के अन्तर्गत चन्द्रपुर तापबिजलीघर में 120 मेगावाट क्षमता वाले दो और एकांश स्थापित किए जाएगे। बदरपुर तापबिजलीघर की क्षमता 300 मेगावाट की होगी और इसका पहला एकांश 1970–71 तक बिजली उत्पादन शुरू कर देगा जबकि शेष दो एकांश 1971–72 तक चालू हो जाएंगे।

परमाणु बिजली उत्पादन योजनाओं के लिए योजना में 1 अरब 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। तारापुर में 380 मेगावाट बिजली की क्षमता वाला भारत का पहला परमाणु बिजलीघर 1969 के अंत तक चालू हो जाएगा। राणाप्रताप सागर के स्थान पर लगाए जा रहे दूसरे बिजलीघर के 200 मेगा-वाट की क्षमता वाले पहले एकांश के भी 1970-71 तक चालू हो जाने की आशा है। राणाप्रताप सागर बिजलीघर का दूसरा एकांश इसके दो वर्ष बाद चालू हो जाएगा। कल्पाक्कम के स्थान पर लगाया जा रहा 200 मेगावाट की क्षमता वाला तीसरा परमाणु बिजलीघर भी योजना के अन्त तक चालू हो जाएगा।

अध्याय 6

उद्योग-धन्धे तथा खनिज

उद्योगों के क्षेत्र में 1968-69 के वर्ष में महत्वपूर्ण सुधार हुआ जिससे उनके भविष्य की आशा बंधती है क्योंकि तीसरी योजना और तीन एकवर्षीय योजनाओं के दौरान उद्योगों के विकास की रफ्तार एक-जैसी नहीं रही। परंतु जो बात उल्लेखनीय है वह है उद्योगों का ठहराव। देश में अब कई क्षेत्रों में नई निर्माण क्षमता का विकास किया गया है और इस प्रकार भविष्य में औद्योगिक समृद्धि की नींव डाली गई है। इसलिए कई उद्योगों में वर्तमान क्षमता का पूर्ण-रूपेण प्रयोग करके—नया पूँजी विनियोग करके नहीं—उत्पादन के नए और ऊंचे प्रतिमान निकट भविष्य में ही स्थापित किए जा सकेंगे।

चौथी योजना में उद्योग और खनन दोनों में कुल मिलाकर लगभग 5,200 करोड़ रुपये के विनियोग की व्यवस्था की गई है जिसमें से 2,800 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र और 2,400 करोड़ रुपये निजी तथा सहकारी क्षेत्र में लगाए जाएगें। सरकारी क्षेत्र में कुल परिव्यय 3,090 करोड़ रुपये का होगा। इसमें 250 करोड़ रुपये की वह रकम भी शामिल है जो कि वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से निजी और सहकारी क्षेत्र को हस्तांतरित की जाएगी। 40 करोड़ रुपये की राशि राज्यों के उन बागान कार्यक्रमों की सहायता के लिए खर्च की जाएगी जिनसे विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है।

सरकारी क्षेत्र के इस कुल परिव्यय में से केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 2,910 करोड़ रुपये और राज्यों व केन्द्रशासित राज्यों के लिए 180 करोड़ रुपये हैं।

केन्द्रीय क्षेत्र में किए जाने वाले परिव्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:

		(करोड़ रु०)
उद्योग		2131.97
धातुएं	986.47	
मशीनें तथा इंजीनियरी	153.02	

योजना के दौरान 79.6 लाख किलोवाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता का विकास किया जाएगा। इसमें से 40 लाख किलोवाट उत्पादन क्षमता के लिए आवश्यक उपकरण और संयंत्र देश के सरकारी क्षेत्र के कारखानों से प्राप्त हो सकेंगे। शेष का विदेशों से आयात करना पड़ेगा। योजना के दौरान ही सरकारी कारखानों से राज्यों की परियोजनाओं के लिए भी 26 लाख किलोवाट क्षमता के लिए आवश्यक उपकरण और सयंत्र उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त इन कारखानों से नई बिजली उत्पादन योजनाओं के लिए संयंत्र और उपकरण भी प्राप्त हो सकेंगे। बिजली उत्पादन के अन्य भारी उपकरण तैयार करने की पर्याप्त क्षमता देश में विद्यमान है और भविष्य में इस प्रकार के उपकरण व संयंत्र विदेशों से मंगाने का कोई विचार नहीं है।

---

(1) सभी आधारभूत और महत्वपूर्ण उद्योगों को, जिनमें अधिक विनियोग और विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, योजनाएं सावधानी से बनाई जानी चाहिएं और उनके लिए औद्योगिक लाइसेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। लाइसेंस दे दिए जाने पर ऋण, विदेशी मुद्रा और कम आपूर्ति वाले कच्चे माल आदि की सुविधाएं उन्हें समय पर प्राप्त कराई जानी चाहिएं।

(2) जिन उद्योगों को पूंजीगत माल के लिए बहुत थोड़ी सहायता की आवश्यकता होती है उन्हें औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दी जा सकती है। ऐसी दशा में विदेशी मुद्रा की सीमा उद्योग विशेष में लगे मशीनों-उपकरणों के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर निर्धारित की जा सकती है। फिर भी यदि इन उद्योगों के लिए आवश्यक साज-सामान के अधिकतर भाग को विदेशों से मंगाना पड़े तो लाइसेंस नीति में निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।

(3) जिन उद्योगों में पूंजीगत उपकरणों या कच्चे माल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें औद्योगिक लाइसेंसप्राप्त करने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया जाना चाहिए।

उद्योगों के एकाधिकार और केन्द्रीकरण को रोकने के लिए नए लाइसेंस किसी भी औद्योगिक संस्थान को उसी हालत में दिए जाएंगे जबकि उसको पहले दिए गए लाइसेंस का अच्छी प्रकार उपयोग हुआ हो। मोटे तौर पर बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों को उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण जैसे अपेक्षाकृत सामान्य उद्योगों के नए एकाम स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

वित्तीय संस्थानों की ऋण देने की नीतियां इस प्रकार निर्धारित की जाएंगी जिनसे बड़े-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान संसाधनों का एक बड़ा भाग न हड़प सकें और इसका लाभ काफी बड़े पैमाने पर विभिन्न उद्योगों को प्राप्त हो सके।

योजना में आधुनिक और तकनीकी दृष्टि से सक्षम लघु उद्योग क्षेत्र के विकास का प्रस्ताव है। कुछ उद्योग केवल लघु उद्योग क्षेत्र में विकसित करने के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। बड़े और छोटे उद्योग क्षेत्रों के समन्वित विकास की योजना

खाद तथा कीटनाशक	483.46	
सहायक	184.46	
उपभोक्ता वस्तुएं	36.99	
अन्य योजनाएं	287.21	
खनिज		717.14
परमाणु शक्ति		60.90
		2910.01

मोटे तौर पर उद्योगों में विनियोग के लक्ष्य इस तरह कहे जा सकते हैं :

(1) जिनके लिए पहले से ही वचन दिया जा चुका है, उन विनियोगों की पूर्ति करना;

(2) वर्तमान तथा भावी विकास के लिए आवश्यक वर्तमान क्षमताओं में वृद्धि करना; और

(3) आन्तरिक विकास या नए उद्योगों या उनके आधार के निर्माण की उपलब्धियों का लाभ उठाना।

विनियोग करते समय ऐसी नीति अपनाई जाएगी जिससे पूंजी और साधनों को इस प्रकार नियोजित किया जाए कि देश का अधिकाधिक औद्योगीकरण हो सके, नए उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जा सके और उद्योगों के स्वामित्व व नियंत्रण को अधिक लोगों में फैलाया जा सके।

औद्योगिक विकास की व्यवस्था 1956 के उद्योग नीति प्रस्ताव के अनुसार की जाएगी। इस नीति के अन्तर्गत उद्योगों का सरकारी, निजी और सहकारी क्षेत्रों में विकास करने के लिए लचीला दृष्टिकोण अपनाने की व्यवस्था है।

आयात नियंत्रण और कम आपूर्ति वाली वस्तुओं का नियंत्रण जारी रहेगा। परन्तु महत्वपूर्ण उद्योगों में नियंत्रण व्यवस्था के आधार ढांचे के अन्दर बाजार को अधिक खुली छूट देने की सुविधा होगी।

चौथी योजना के दौरान औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति की व्याख्या इस प्रकार की गई है :

हित किया जाएगा । ऐसा एक ओर बड़े उद्योगों के लिए सहायक तथा पोषक उद्योगों और दूसरी ओर बड़े उद्योगों के उत्पादनों से अन्य माल तैयार करने वाले उद्योग के रूप में बदल कर किया जाएगा ।

इस समय उद्योगों का अधिकतम विकास विकसित क्षेत्रों में ही हुआ है जिसके परिणामस्वरूप पिछड़े हुए इलाकों में उद्योगों के विकसित न होने की समस्या पैदा हो गई है । उद्योगों को पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थापित करने और इससे इन इलाकों के विकास का पथ प्रशस्त करने का कार्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव है । विकसित क्षेत्रों में उद्योगों के और अधिक केन्द्रित होने की रुझान को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे ।

सरकारी क्षेत्र

चौथी योजना के शुरू में खनन और निर्माण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं पर कुल केन्द्रीय विनियोग लगभग 3,400 करोड़ रुपये का होगा इनमें से काफी बड़ा भाग भारी उद्योगों जैसे इस्पात, कोयला, लिग्नाइट, बिजली के सामान सहित भारी मशीनें, पैट्रोलियम, खाद वगैरह में लगाया जाएगा ।

यद्यपि इस पूंजी विनियोग से औद्योगिक ढांचा काफी मजबूत हुआ है परन्तु कुल मिलाकर उद्योगों की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है । औद्योगिक उत्पादन प्रस्थापित क्षमता से काफी कम रहा है । पूरी क्षमता से काम कर सकने की अवस्था पहुंचने में कुछ समय लगता है । इस कारण इस क्षेत्र में लगाए गए उद्योगों से थोड़े समय में पूरे उत्पादन की अपेक्षा नहीं की जा सकती और न ही भारी मुनाफे की । परन्तु इन उद्योगों की कार्यकुशलता को बढ़ाने और अधिक तीव्र विकास करने की काफी गुंजाइश है ।

सरकारी क्षेत्र में किए जानेवाले परिव्यय का एक बड़ा भाग उन परियोजनाओं के लिए है जो पहले से ही कार्यान्वित की जा रही हैं और जिन पर विनियोग करने का निर्माण किया जा चुका है । नई परियोजनाएं खाद, कीटनाशक, पैट्रो-रसायन, अलौह धातुओं और खनिज लोहा, पायराइट और सल्फेट स्रोतों के विकास जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए रहेंगी ।

सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई जीवन-क्षम मिलों के पुनर्निर्माण

जिक कारखाना अपना उत्पादन बढ़ाकर 40 हजार टन कर लेगा। इसकी वतमान क्षमता 20 हजार टन के लगभग है।

विशाखापत्तनम-स्थित हिन्दुस्तान जहाज-निर्माण कारखाने की क्षमता 2.5 से बढ़ाकर 6 जहाज प्रतिवर्ष कर दी जाएगी।

देश में नाइट्रोजनी रासायनिक खादों के उत्पादन की क्षमता को 23 लाख टन से बढ़ाकर 37 लाख टन कर देने का भी प्रयत्न किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए निजो क्षेत्र में 11-11 लाख टन की क्षमता वाले 7 कारखानों की स्थापना की अनुमति दी जा चुकी है। सरकारी क्षेत्र में लगाए जाने वाले कारखाने एक कार्यक्रम के अनुसार लगाए जाएंगे, जिनके लिए योजना में 262 करोड़ रुपये की राशि सुरक्षित की गई है। 1973–74 तक फास्फेट से तैयार होने वाले रासायनिक खाद की 18 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा। कोयले पर आधारित दो या तीन रासायनिक खाद कारखाने लगाने पर भी विचार किया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र में ऐरोमैटिक परियोजना और कोयाली-स्थित नैप्था के विखंडन की परियोजना को भी विकसित किया जाएगा क्योंकि इनका विकास पैट्रोरासायनिक क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन परियोजनाओं से कृत्रिम रेशे तैयार करने और कृत्रिम रबड़ बनाने के उद्योगों को महत्वपूर्ण उत्पादन प्राप्त हो सकेंगे। इसके साथ-साथ प्लास्टिक उद्योगों की क्षमता बढ़ाने में सहायता मिल सकेगी। बरौनी-स्थित ऐरोमैटिक परियोजना का काम भी शुरू किया जाएगा। बरौनी में ही निजी क्षेत्र में एक लाख विखंडन परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

सरकारी क्षेत्र में स्थित शोध-कारखानों की क्षमता को बढ़ाकर 2 करोड़ 60 लाख टन करने का प्रयास किया जायगा ताकि देश में पैट्रोलियम की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। कच्चे तेल का उत्पादन 59 लाख टन से बढ़ाकर 97 लाख टन कर दिए जाने का अनुमान है।

कोककर (कोकिंग) कोयले के, जिसकी देश में कुल खपत अनुमानतः 2 करोड़ 95 लाख टन है, तैयार करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसका

योजना में इस क्षेत्र के विकास के लिए रखे गए मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं : छोटे उद्योगों की उत्पादन तकनीक में सुधार करना, उद्योगों का छितराव और उनके विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहन देना; और कृषि पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देना।

छोटे उद्योगों की सहायता करने और कई उद्योगों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था रद्द करने के परिणामस्वरूप इन उद्योगों को प्राप्त न होने वाली सुरक्षा की पूर्ति के लिए योजना में कई निश्चित कदम उठाए जाएंगे। ये होंगे : उदार तथा सुगम ऋण व्यवस्था, कमी वाले कच्चे माल को उपलब्ध कराना, तकनीकी सहायता और अच्छी किस्म के उपकरण, कराधान में रियायत और विशेष उत्पाद शुल्क का निर्धारण।

अनुसंधान की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। उत्पादन तकनीक विकसित की जाएगी और डिजाइन को उन्नत किया जाएगा। इनके अलावा छोटे उद्योगों को उद्योग-प्रसार सेवाएं और परीक्षण की सुविधाएं भी बड़े पैमाने पर प्राप्त कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

बड़े शहरों में दस्तकारी केन्द्र खोले जाएंगे।

निर्यात का माल तैयार करने वाले कारखानों को ऋण तथा कच्चे माल की सप्लाई में प्राथमिकता दी जाएगी।

हथकरघा, बिजली से चलने वाले करघे और खादी उद्योगों में फिलहाल तैयार होने वाले अनुमानतः 335 करोड़ मीटर सूती कपड़े के उत्पादन को 1973-74 तक बढ़ाकर 425 करोड़ मीटर कर दिया जाएगा। हथकरघों के उत्पादन का निर्यात मूल्य 1967-68 में लगभग 9 करोड़ रुपये का था। 1973-74 तक इसके लगभग 15 करोड़ रुपये तक बढ़ जाने का अनुमान है।

आशा है कि कौयर (नारियल जटा) उद्योग का निर्यात मूल्य जो 1967-68 में 13 करोड़ रुपये का था, 1973–74 में बढ़कर 17 करोड़ रुपये हो जाएगा। इसके साथ रेशमी कपड़ा और रेशम के वेस्ट (गूदड़) का निर्यात मूल्य इसी अवधि के दौरान 4 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ हो जाएगा।

विभिन्न एम्पोरियमों द्वारा इस वर्ष 4 करोड़ रुपये की दस्तकारी की चीजें बेची गईं। 1973-74 तक इसके 10 करोड़ रुपये तक बढ़ जाने की आशा है। 1967-68 में 55 करोड़ रुपये के मूल्य की दस्तकारी की चीजों का निर्यात हुआ। आशा है योजना के दौरान इनका निर्यात मूल्य 73 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा।

अध्याय 7

परिवहन तथा संचार

चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र में परिवहन के लिए कुल 3,173 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें से 2,650 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में तथा 523 करोड़ रुपये राज्यों की योजनाओं में लगाए जाएंगे।

चौथी योजना में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए धनराशि के बंटवारे का ब्योरा नीचे सारणी में दिया गया है। तीसरी योजना में किए गए व्यय भी इसी सारणी में दिए गए हैं :

	चौथी योजना (करोड़ रुपये)	तीसरी योजना में व्यय (करोड़ रुपये)
रेलें	1,050	1,325
सड़कें	829	440
सड़क परिवहन	85	27
बंदरगाह	195	93
जहाजरानी	131	40
विमान परिवहन	203	49
पर्यटन	34	5
संचार	520	117
[illegible]	40	8

रेलें

[illegible] — रेल प्रणालियों की कार्यकुशलता [illegible] जाएंगे। ऐसे क्षेत्रों में जहां पर आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का काम और तेज किया जाएगा।

बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में बड़े पैमाने पर माल को एक गाड़ी से दूसरी में बदलने की सुविधाओं में सुधार करने के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

इस समय 19,200 किलोमीटर मार्ग पर डीजल से गाड़ियां चलने लगी हैं। 1973–74 में इसे 22 हजार किलोमीटर तक बढ़ाने का विचार है। 1973–74 में बिजलीकरण के कार्यक्रम को 2,900 किलोमीटर बढ़ाकर 4,600 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा। प्रस्ताव है कि अधिक आवा-जाही वाले मार्गों पर गाड़ियां बिजली या डीजल से चलाई जाएं।

1,500 किलोमीटर छोटी लाइन को चौथी योजना के दौरान बड़ी लाइन में बदलने का कार्यक्रम हाथ में लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 1,800 किलोमीटर तक दोहरी लाइन बिछाने का काम हाथ में लिया जाएगा। चौथी योजना में नई लाइनें बिछाने का कार्य सीमित ही रखा जाएगा। नई लाइनें बुनियादी और भारी उद्योगों तथा कोयले तथा कच्चे लोहे जैसे खनिजों के परिवहन की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर ही बिछाई जाएंगी।

चौथी योजना के अंत तक 1,259 भाप से चलने वाले इंजन, 6,418 सवारी डिब्बे, 1,01,532 माल के डिब्बे और बिजली से चलने वाले 763 विभिन्न एकांश (डिब्बे आदि) हमारी रेल लाइनों पर चलने लगेंगे।

मुसाफिरों की सुविधाओं की व्यवस्था के लिए 20 करोड़ रुपये और रेल कर्मचारियों के लिए मकान बनाने और कल्याण के लिए 45 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

सड़कें तथा सड़क परिवहन

सड़कों के विकास के लिए चौथी योजना में कुल 829 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इनमें से 418 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में और

411 करोड़ रुपये राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए हैं।

कुल 24,000 किलोमीटर लम्बे राजमार्गों को मिलाने के लिए 400 किलोमीटर लम्बे टुकड़ों पर काम होना बाकी है। यह भी प्रस्ताव है कि इन सभी टुकड़ों को पूरा किया जाए और कच्ची या टूटी-फूटी सड़कों को सुधार कर उन्हें और अच्छा बनाया जाए।

राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था के अन्तर्गत जो 17 पुल अभी बनने हैं उनमें से 16 पुल तैयार कर दिए जाएंगे। चौथी योजना के अन्त तक 50,000 किलोमीटर पक्की सड़कें और बनाई जाएंगी और इनकी कुल लम्बाई 3,67,000 किलोमीटर हो जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकारें कुल निर्धारित राशि का 25 प्रतिशत भाग इन ग्रामीण सड़कों के लिए अलग से रखने के लिए राजी हो गई हैं। मंडी वाले नगरों से सम्बन्धित सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी।

आशा है चौथी योजना के दौरान सवारी यातायात लगभग 92 अरब यात्री किलोमीटर से बढ़कर लगभग 140 अरब यात्री किलोमीटर हो जाएगा। इसी तरह इसी बीच माल की ढुलाई भी 40 अरब टन किलोमीटर से बढ़कर 84 अरब टन किलोमीटर हो जाएगी। बढ़ते हुए यातायात की जरूरतें पूरी करने के लिए 4 लाख 70 हजार ट्रकों और लगभग 1 लाख 15 हजार बसों की जरूरत होगी। इस समय देश में 3 लाख ट्रक और लगभग 80 हजार बसें हैं।

व्यापारिक वाहनों का निर्माण 35 हजार से बढ़कर 85 हजार हो जाएगा।

राज्यों द्वारा अपने अधिकार में लिए गए परिवहन उपक्रमों की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 62 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है परन्तु सड़क परिवहन का अधिक विस्तार निजी क्षेत्र में ही किया जाएगा।

बन्दरगाह व जहाजरानी

[illegible]

चौथी योजना में हल्दिया गोदी योजना तथा मंगलौर और तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजनाएं पूरी की जाएंगी। बम्बई में गोदी विस्तार योजना तथा मद्रास के बाहरी बन्दरगाह में तेल गोदी योजना को पूरा करने की व्यवस्था की गई है। यह योजना तीसरी योजना में चालू की गई थी। चौथी योजना में सम्मिलित नई योजनाओं में मारमुगाओ तथा मद्रास के बन्दरगाहों पर कच्ची धातु की ढुलाई की आधुनिक व्यवस्था, विशाखापत्तनम में एक बाहरी बन्दरगाह का निर्माण तथा बम्बई में न्हेवा शेवा में एक कृत्रिम सहायक बन्दरगाह का निर्माण मुख्य हैं।

बड़े और छोटे बन्दरगाहों की तलकर्षण की भारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्रीय तलकर्षण निगम की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है।

चौथी योजना के अन्त तक जहाजरानी का कुल टन भार लगभग 35 लाख कुल पंजीकृत टन भार हो जाएगा। इसमे से 31 लाख टन भार विदेशी और 4 लाख टन भार तटीय होगा। नए जहाजों को खरीदने के लिए चौथी योजना में 1 अरब 25 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

आशा है कि चौथी योजना के अन्त में देश के विदेशी व्यापार में जहाजरानी का अंश लगभग 40 प्रतिशत होगा।

कलकत्ता बन्दरगाह मे जहाजरानी की सुविधाओं का और विस्तार करने के लिए बनाए जा रहे फरक्का बांध का काम चौथी योजना में पूरा किया जाएगा।

नागर विमानन

चौथी योजना के दौरान बड़े और अधिक गति वाले विमानों के नागर विमानन मे प्रयुक्त किए जाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई इन चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में सुविधाएं बढ़ाने का विचार है ताकि ये जम्बो जेट जैसे भारी तथा अधिक क्षमता वाले विमानों के उपयोग के लिए उपयुक्त हो सकें।

इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। एयर इण्डिया चार बोइंग 747 (जम्बो) जेट प्राप्त करेगा।

पर्यटन

योजना में पर्यटक सुविधाओं और पर्यटक आकर्षणों का प्रसार-परिवर्द्धन किया जाएगा। अब 'भारत से गुजरिए' की बजाय 'भारत आइए' की प्रेरणा पर अधिक जोर दिया जाएगा।

पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें से 14 करोड़ रुपये केन्द्रीय पर्यटन विभाग के लिए और 11 करोड़ रुपये भारत पर्यटन विकास निगम के लिए होंगे। केन्द्रीय पर्यटन विभाग इस राशि को होटल उद्योग को और प्राइवेट टैक्सी या टूरिस्ट कार चालकों को नए वाहन खरीदने के लिए ऋण देने में उपयोग करेगा। भारत पर्यटन विकास निगम होटल, मोटल और पर्यटन-काटेज भी बनाएगा।

राज्यीय योजनाओं में 9 करोड़ रुपये के कुछ परिव्यय का प्रस्ताव है। यह राशि मुख्यतः अन्तर्देशीय पर्यटन के विकास पर खर्च की जाएगी।

संचार

चौथी योजना में संचार के विकास के लिए 520 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

इस समय देश में कुल 11 लाख टेलीफोन हैं। चौथी योजना की अवधि में 7 लाख 60 हजार नए टेलीफोन और लगाए जाने का अनुमान है।

इसके अलावा अधिक कोएक्सीयल तारें बिछाकर माइक्रोवेव सम्बन्धों तथा स्वचालित एक्सचेंजों द्वारा ट्रंक सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा।

योजना की अवधि में लगभग 31 हजार नए डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

बंगलौर में टेलीफोन कारखाने के विस्तार तथा लम्बी दूरी के संचार उपकरण [illegible] लिए एक नए कारखाने की स्थापना करने का भी विचार है।

[illegible] है कि योजना की अवधि में हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर कारखाने की [illegible]0 से बढ़कर 8,500 टेलीप्रिंटर प्रतिवर्ष हो जाएगी।

पूना के पास अर्वी में पृथ्वी पर स्थित उपग्रह केन्द्र को पूरा करने के अलावा दिल्ली में एक नया केन्द्र खोला जाएगा।

प्रसारण

चौथी योजना में प्रसारण की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। योजना के अन्त तक देश की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या मीडियमवेव प्रसारण के अन्तर्गत आ जाएगी।

क्षेत्रीय आधार पर विज्ञापन प्रसारण की व्यवस्था का भी प्रसार किया जाएगा। इसके अन्तर्गत लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, जयपुर, बंगलौर, हैदराबाद, त्रिवेन्द्रम, जालंधर और श्रीनगर में मुख्य क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

टेलीविजन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली में वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने तथा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर या लखनऊ तथा श्रीनगर इन पांच केन्द्रों में टेलीविजन का विस्तार करने का विचार है।

अध्याय 8

शिक्षा और जनशक्ति

शिक्षा के प्रसार के लिए चौथी योजना में 550 करोड़ के वार्षिक गैरयोजना व्यय के अतिरिक्त 802 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कुल परिव्यय में से 543 करोड़ राज्यों के लिए, 28 करोड़ केन्द्र द्वारा चालू की गई योजनाओं के लिए और 231 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र के लिए रखे गए हैं। लगभग 150 करोड़ रुपये की राशि गैरसरकारी साधनों से प्राप्त होगी।

शिक्षा आयोग (1964-66) की सिफारिशों के आधार पर ही शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है। चौथी योजना में इसी के अनुरूप ही शिक्षा सम्बन्धी योजनाएं तैयार की जाएंगी। चौथी योजना में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार को प्राथमिकता दी जाएगी। पिछड़े क्षेत्रों और वर्गों तथा लड़कियों की शिक्षा की अधिक सुविधाएं प्राप्त कराने पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, स्नातकोत्तर शिक्षा तथा शोध-कार्य की सुविधाएं बढ़ाने, भारतीय भाषाओं के विकास, पुस्तक प्रकाशन (विशेषकर पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन) और उद्योगों की आवश्यकताओं और स्वयं काम करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षा के समेकीकरण, युवक सेवाओं के विस्तार आदि की ओर भी ध्यान दिया जाएगा। थोड़ी लागत और अधिक लोगों को काम देने की संभावना वाले कार्यों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा संबंधी कार्यक्रम सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार किए व चलाए जाएंगे।

पिछले 8 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का ब्यौरा अगले पृष्ठ पर दिया गया है :

	1960–61	1968–69
स्कूलों में विद्यार्थी	4 करोड़ 50 लाख	7 करोड़ 60 लाख
कालेजों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी	7 लाख 40 हजार	16 लाख 90 हजार
इंजीनियरी और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थी	40,000	73,600
शिक्षा पर कुल व्यय	344 करोड़	850 करोड़
व्यय में सरकार का भाग	68 प्रतिशत	75 प्रतिशत

शिक्षा के क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद अभी तक संविधान में दिए गए इस निर्देश को कि 10 वर्ष के अन्दर-अन्दर 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी, कार्य रूप देने का काम पिछड़ गया है। 1968-69 में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों में से केवल 63 प्रतिशत बच्चे ही स्कूलों में जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े वर्गों और क्षेत्रीय असमानताओं की ओर ध्यान देना भी आवश्यक हो गया है।

चौथी योजना के दौरान प्रारम्भिक शिक्षा, जिसमें पिछड़े वर्गों और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा, के प्रसार को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा के स्तरों, अनुसंधान और प्रशिक्षण, भारतीय भाषाओं के विकास और पाठ्यपुस्तकों के तैयार करने व छापने और

उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम तैयार कर की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

स्कूल-पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण सामग्री, शिक्षकों के प्रशिक्षण औ शिक्षण विधियों में सुधार करने पर बल दिया जाएगा।

प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार के लिए योजना में 8 करोड़ 68 लाख छात्र छात्राओं को स्कूलों में भर्ती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिनमें से 3 करोड़ 41 लाख 40 हजार लड़कियां होंगी। चौथी योजना में 38 लाख और छात्र-छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त कराने का लक्ष्य है योजना के अन्त तक 74 लाख 40 हजार लड़के और 29 लाख 60 हजार लड़कियां माध्यमिक स्तर के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने और शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने पर भी जोर दिया जाएगा।

चौथी योजना में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए 6 लाख 44 हजार और माध्यमिक स्तर पर 1 लाख 53 हजार अध्यापकों की और जरूरत होगी। कुछ राज्यों को छोड़कर शेष में आवश्यक अध्यापक चौथी योजना के दौरान प्रशिक्षित किए जाने की आशा है।

जहां तक उच्च शिक्षा का सम्बन्ध है 10 लाख अतिरिक्त छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षण की सुविधाएं जुटानी पड़ेंगी। इनमें से डेढ़ लाख को पत्राचार तथा सांध्य कालेजों द्वारा शिक्षा की सुविधाएं मिलेंगी। विज्ञानेत्तर विषयों के साथ-साथ अन्य विषयों में भी शिक्षा की सुविधाएं पत्राचार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।

स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अन्तशाखा अनुसंधान का स्तर ऊंचा करने की ओर चौथी योजना में बहुत ध्यान दिया जाएगा। समाज विज्ञान में शोधकार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाएगा। स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधाओं के प्रसार के लिए ऐसे शहरों में जहां बहुत-से कालेज हों और जहां विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक होगी, विश्वविद्यालय खोले जाएंगे।

लाख रुपये के गैर योजना व्यय के साथ 33 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी।

परिषद अनुसंधान और विकास के लिए ऐसी परियोजनाएं चुनेगी जिनका औद्योगिक उत्पादन पर काफी तथा स्पष्ट प्रभाव पड़े। अनुसंधानशालाओं और उद्योगों में अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। तकनीकी विज्ञान के विकास को जिसमें कांच और मिट्टी के बर्तन, अलौह धातुओं को जैसे मैगनेशियम और टाईटेनियम, मिश्रधातु (अलॉय) पोलीमर्स और बायो-कैमीकल्स शामिल हैं, प्राथमिकता दी जाएगी।

चौथी योजना में जो परियोजनाएं शामिल की गई हैं उनमें राणा प्रताप सागर तथा कलपक्कम (प्रथम चरण) स्थित परमाणु शक्ति परियोजनाओं को पूरा करना भी शामिल है। इनमें बड़ी मात्रा में देश में बनी सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा और अपने इंजीनियर ही इनके डिजाइन आदि तैयार करेंगे। एक दूसरी परियोजना है कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के साथ भट्टी अनुसंधान केन्द्र तथा कलकत्ते में एक वेरीएबल एनर्जी साइक्लोट्रोन खोलने की। कलपक्कम स्थित केन्द्र थोरियम के इस्तेमाल के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य करेगा।

ऋतु विज्ञान (मिटिओरॉलोजी) तथा विषुवद् वृत्तीय वैमानिकी (इक्वीटोरियल एयरोनॉमी) से सम्बन्धित अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिए उन्नत राकेट विकसित किए जाएंगे। पूर्वी तट पर मध्यम ऊंचाई वाले अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिए राकेट छोड़ने का केन्द्र स्थापित करने का काम भी चालू किया जाएगा।

चौथी योजना में परमाणु शक्ति विभाग के लिए 85 करोड़ 19 लाख रुपये के गैर-योजना व्यय के साथ 61 करोड़ 18 लाख रुपये का व्यय निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान-शालाओं में किए गए अनुसंधानों और नई खोजी हुई परिष्कृत कार्यविधियों के उपयोग करने का काम सौंपा गया है। इस कार्य के लिए योजना में 2 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

अध्याय 9

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन

चौथी योजना में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए 437 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था की है, जो तीसरी योजना से लगभग दुगुनी है। इसमें से 127 करोड़ 1 लाख रुपये छूत की बीमारियों के नियंत्रण एवं उन्मूलन के लिए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने, वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सबल बनाने और उन्हें

[illegible] साज-सामान तथा कर्मचारियों से लैस करने पर जोर दिया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इस सेवा का इस्तेमाल रोग की बीमारियों के उन्मूलन (विशेष स्वास्थ्य प्रचार अभियान के लिए किया जाएगा। जिसके परिणामस्वरूप एक ही साथ डाक्टरी जांच तथा चिकित्सा सुविधाएं दी जा सकेंगी ताकि उपलब्ध वित्तीय तथा जन साधनों का पूरा-पूरा उपयोग हो।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम जो 1958 में शुरू हुआ था और 1967-68 में समाप्त होने वाला था, अनेक बाधाओं के परिणामस्वरूप पूरा नहीं हो सका। अतः यह कार्यक्रम अब 1975 तक चलाया जाएगा।

जहां तक राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम का सम्बन्ध है, राज्य तथा जिला स्तर पर कर्मचारियों को बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि सभी नवजात शिशुओं को प्रारम्भिक टीका तथा जिन वर्गों को चेचक का आक्रमण होने की सम्भावना हो, उन्हें 3-3 वर्ष बाद दो बार टीका लगाया जा सके। चार संस्थानों में चेचक के जमे हुए सूखे टीके की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि इसकी सप्लाई के बारे में देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

डाक्टरी शिक्षा

इस समय देश में 93 मेडिकल कालेज हैं। योजना के दौरान 10 नए कालेज खोलने का प्रस्ताव है। इसके परिणामस्वरूप 1974 तक मेडिकल कालेजों में वार्षिक दाखिलों की संख्या 13 हजार के लगभग हो जाएगी। वर्तमान कालेजों को सुधारने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। स्नातकोत्तर शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा और दिल्ली, पांडिचेरी, कलकत्ता और चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर संस्थाओं के साज-सामान तथा स्टाफ को बढ़ाया जाएगा।

योजना के दौरान सरकारी अस्पतालों में 25,900 अतिरिक्त रोगी-शैयाओं की व्यवस्था की जाएगी।

सभी सामुदायिक विकास खण्डों में जिनमें प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं

हैं—इनकी संख्या 351 है—ऐसे केन्द्रों की स्थापना चौथी योजना के दौरान कर देने का विचार है।

परिवार नियोजन

योजना में परिवार नियोजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अक्तूबर 1968 में भारत की कुल आवादी लगभग 52 करोड़ 70 लाख थी। हाल के सर्वेक्षण से यह पता चला है कि जन्म दर घटकर 39 प्रति हजार हो गई है जबकि 1965-66 तक पिछले 20 वर्षों के दौरान यह अधिकतर 41 प्रति हजार ही रही थी। 1973-74 तक जन्म दर को 32 प्रति हजार तक घटाने और अगले 10-12 वर्ष में 25 प्रति हजार तक लाने का लक्ष्य है।

अगले 10 वर्षों तक परिवार नियोजन केन्द्रचालित कार्यक्रम बना रहेगा और इस पर आने वाला सारा व्यय केन्द्रीय सरकार ही उठाएगी। परिवार

नियोजन कार्यक्रमों के लिए की गई कुल 300 करोड़ रुपये की व्यय-व्यवस्था में से लगभग 225 करोड़ रुपये ग्रामीण तथा शहरी केन्द्रों की सेवाओं तथा वन्ध्यकरण-लूप का मुआवजा देने के लिए होंगे। शेष 75 करोड़ रुपये प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रचार के लिए रखे जाएंगे। तीसरी योजना में इसके लिए 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जबकि कुल व्यय 24 करोड़ 86 लाख रुपये का हुआ।

1973–74 तक उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वन्ध्यकरण, लूप तथा खाने की गोलियां और इन्जेक्शन के गर्भनिरोधक तरीकों के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है। चालू गर्भनिरोधक उपायों को भी काफी आगे बढ़ाया जाएगा ताकि 1969-70 तक 24 लाख व्यक्ति तथा 1973-74 तक 1 करोड़ व्यक्ति इन्हें अपना सकें।

इन उपायों के परिणामस्वरूप 1973–74 तक 2 करोड़ 80 लाख

दम्पत्तियों के लाभान्वित होने की सम्भावना है तथा योजना की अवधि में देश की जनसंख्या में 1 करोड़ 80 लाख की वृद्धि होने से रुक जाएगी।

ग्रामीण और शहरी परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों में, जिनकी संख्या 7 हजार है नसबन्दी के आपरेशनों के लिए आवश्यक सर्जरी के उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। अनुमान है कि वन्ध्यकरण के कुल आपरेशनों में से 15 प्रतिशत महिलाओं के होंगे जिसके लिए अस्पतालों में 3 हजार रोगी-शैय्याओं का प्रबन्ध किया जाएगा।

परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों तथा स्वयंसेवी संगठनों तथा कर्मचारियों द्वारा पुराने गर्भनिरोधकों के निःशुल्क वितरण की चालू व्यवस्था के अलावा 6 लाख फुटकर विक्रेताओं द्वारा कन्डोम (निरोध) का वितरण कराया जाएगा। अनुमान है कि योजना की अवधि में देश में ही 170 करोड़ कन्डोम तैयार किए जा सकेंगे।

10 हजार चिकित्सा तथा 1 लाख 50 हजार चिकित्सा-इतर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

अध्याय 10

कल्याण कार्यक्रम

समाज कल्याण

पिछले 10 वर्षों में समाज कल्याण कार्यक्रमों पर जहां 16 करोड़ 40 लाख रुपये व्यय किए गए वहां चौथी योजना में इन कार्यक्रमों पर 37 करोड़ 15 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

केन्द्रीय क्षेत्र में चालू रहने वाला एक बड़ा कार्यक्रम परिवार तथा शिशु कल्याण परियोजनाओं का है। अगले पांच सालों में 101 और परिवार तथा शिशु कल्याण परियोजनाएं चालू करने का प्रस्ताव है।

चौथी योजना में समाज तथा सरकार दोनों ही के द्वारा स्कूल-पूर्व बच्चों के भोजन की ओर बहुत ध्यान दिया जाएगा। इसलिए स्कूल-पूर्व बच्चों में अपोषण दूर करने के कार्यक्रमों के लिए 6 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सहायता-अनुदान कार्यक्रमों में 6 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है ताकि यह बोर्ड स्वयंसेवी संगठनों की इस मामले में मदद कर सके। अनाथ बच्चों की सेवा व्यवस्था के लिए सीधे सरकार या स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अधिकाधिक प्रयत्न किए जाएंगे।

देहरादून-स्थित अंधों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र की सेवाओं को उन्नत और विस्तृत करने का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही चौथी योजना में आंशिक रूप से अन्धे व्यक्तियों के लिए भी एक स्कूल शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रौढ़ बहरों के प्रशिक्षण केन्द्र का, जिसमें 16 से 25 वर्ष तक की आयु के लड़कों को इंजीनियरी तथा गैर-इंजीनियरी कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है, विस्तार किया जाएगा और आंशिक रूप से बहरे लड़कों के लिए एक और स्कूल स्थापित किए जाएगा।

दिल्ली-स्थित मानसिक रूप से व्यथित लड़के-लड़कियों के आदर्श स्कूल

का विस्तार किया जाएगा और इसमें कारखाने की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। दिमागी पक्षाघात वाले बच्चों के लिए तथा बुरी तरह से अपंग हुए बच्चों के लिए व्यवसाय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में भी एक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। विकलांग बच्चों के लिए यह एक राष्ट्रीय केन्द्र की शुरूआत होगी जो सेवाओं के विकास और प्रशिक्षण की प्रदर्शन परियोजना के रूप में भी कार्य करेगा।

अंधों तथा आंशिक रूप से अंधे व बहरों के लिए समन्वित शिक्षा की कुछ आजमाइशी स्कीमें चलाने का भी प्रस्ताव है। अपंगों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं को और उन्नत तथा विस्तृत किया जाएगा।

चौथी योजना में बाल अपराध निरोध तथा उपचार, निश्चित अवधि के लिए देखभाल, महिलाओं तथा लड़कियों के अनैतिक व्यापार के दमन, सामाजिक तथा नैतिक स्वच्छता तथा भिक्षावृत्ति को समाप्त करने आदि के कार्यक्रम चलाने का विस्तार करने का भी प्रस्ताव है।

पिछड़े वर्गों का कल्याण

चौथी योजना में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 1 अरब 34 करोड़ 37 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

पिछड़े वर्गों के कल्याण तथा उनकी सर्वांगीण उन्नति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चौथी योजना में सेवाओं के समन्वय, सुधार तथा विस्तार पर बल देने का प्रस्ताव है ताकि पहली योजनाओं में चालू किए गए काम को और तेज किया जा सके। आदिमवासी विकास खण्ड कार्यक्रमों के लिए योजना में साढ़े 32 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

आदिम जातियों के कल्याण के लिए बनाए गए खंडों ने विकास का दूसरा चरण पूरा कर लिया है और अब तीसरे चरण में काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए अगले पांच वर्षों में प्रत्येक खंड को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में जब तक चालू विकास कार्यक्रम पूरे नहीं हो जाते, कोई नया कार्यक्रम नहीं चलाया जाएगा और न ही चालू कार्यक्रमों में किसी तरह का

विस्तार किया जाएगा। खंडो मे खेती की पैदावार बढ़ाने, मवेशियो की नस्ल सुधारने और उनसे अधिक दूध, घी लेने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी। भूमिहीन मजदूरों को काम दिलाने और उनको विभिन्न हुनर सिखाने का काम इसके बाद हाथ में लिया जाएगा।

चौथी योजना मे अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम जातियो के विद्यार्थियो को दसवीं कक्षा के बाद छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 11 करोड रुपये की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त दसवी कक्षा के बाद छात्रवृत्ति से सम्बन्धित योजना के पूर्व स्वीकृत व्यय के रूप मे लगभग 33 करोड रुपये की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण सुविधाओं को बढाने पर भी बल दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियो म, जिनम शिक्षा का नितांत अभाव है और आठवीं या माध्यमिक कक्षा के स्तर पर अधिकतर विद्यार्थी स्कूल जाना छोड़ देते हैं, शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष कदम उठाए जाएगें।

अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रमों के अंतर्गत गदी बस्तियो मे रहने व काम करने वाले लोगों के स्तर मे सुधार करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र मे 3 करोड रुपये व्यय किए जाएगें।

पिछड़े वर्गों के कल्याण में महत्वपूर्ण काम करने वाले स्वयसेवी सगठनो को अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रमो के लिए प्रचार तथा शैक्षिक सस्थाए चलाने के लिए आवश्यक सहायता दी जाएगी।

श्रमिक कल्याण

चौथी योजना में श्रमिक कल्याण कार्यक्रमो के लिए 37 करोड़ 11 लाख रुपये रखे गए हैं। इनमें से 9 करोड 20 लाख रुपये केन्द्रीय योजनाओं, 25 करोड़ 12 लाख राज्य योजनाओ और 2 करोड 79 लाख रुपये केन्द्रशासित क्षेत्रों की योजनाओं के लिए हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार सेवा कार्यक्रम जो अभी तक केन्द्र द्वारा चलाए जाते थे, अब राज्य सरकारों को सौंप दिए जाएगें।

पुनर्वास

योजना में बर्मा और श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले भारतीयों तथा पूर्व पाकिस्तान से आए विस्थापितों को जिन्हें इस समय सहायता शिविरों में रखा गया है (कुछ परिवारों को प० बंगाल में शिविरों से बाहर भी रखा गया है) कृषि तथा कृषि-इतर धन्धों में लगाने के लिए 66 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इन विस्थापितों के पुनर्वास के लिए दण्डकारण्य, अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह में पुनर्वास योजना, विस्थापितों के प्रशिक्षण और पुनर्वास उद्योग निगम के कार्यक्रमों के लिए भी व्यवस्था की गई है।

संयोग विकास तथा आवास

आवास तथा शहरी विकास के लिए योजना में 170 करोड़ 70 लाख रुपये की व्यवस्था है। इनमें से 136 करोड़ 70 लाख रुपये राज्यों के लिए और 34 करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा खर्च किए जाएंगे।

राज्यों द्वारा खर्च किए जाने वाले परिव्यय का लगभग 30 प्रतिशत यानी लगभग 40 करोड़ रुपये कलकत्ता महानगर क्षेत्र के समेकित शहरी विकास पर खर्च किए जाएंगे। इनमें से 11 करोड़ रुपये जलापूर्ति योजनाओं में और इतने ही जल-मल निकास व्यवस्था को सुधारने पर खर्च होंगे। 17 करोड़ रुपये परिवहन पर और 1 करोड़ रुपये बस्ती सुधार पर खर्च जाएंगे।

आवास के क्षेत्र में परियोजनाएं कुछ सीमित क्षेत्र में ही चलाई जाएंगी। सरकारी क्षेत्र में तीसरी योजना के दौरान आवास पर कुल 300 करोड़ रुपये की राशि लगाई गई थी जबकि निजी क्षेत्र में इस मद के लिए कुल पूंजी विनियोग 1,400 करोड़ रुपये का था। चौथी योजना में निजी क्षेत्र में होने वाले विनियोग बढ़ कर लगभग 2,700 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है।

शहरी आवास के मामले में इस बात पर बल दिया जाएगा कि जमीन की कीमतें न बढ़ें। सहकारी तथा निजी प्रयास के लिए वित्तीय सहायता देने और गंदी बस्तियों को सुधारने के कार्यक्रम चालू करने के उद्देश्य से कानून बनाए जाएंगे।

योजना में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में थोड़ी ही वृद्धि होगी। इस समय देश में कुल 1 लाख 47 हजार ऐसे प्रशिक्षण संस्थान हैं जोकि योजना के अंत तक 1 लाख 50 हजार हो जाएंगे। इन नए प्रशिक्षण संस्थानों में औजार और सांचे तैयार करने, इलैक्ट्रोनिक उपकरण बनाने और रसायन आदि नए धंधों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्योगों के लिए विशेष योग्यताप्राप्त कारीगर तैयार करने और निरीक्षण अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए 3 नए संस्थान स्थापित किए जाएंगे। योजना के दौरान विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण पा रहे शागिर्द की संख्या 37 हजार से बढ़कर 75 हजार हो जाएगी।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की गतिविधियों का क्षेत्र बढ़ाकर कुछ चुने हुए इलाकों में स्थित दूकानों और व्यापारिक फर्मों तथा 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों पर भी कर दिया जाएगा। सभी बीमा वाले कामगरों को और उनके परिवारों को चिकित्सा की सुविधाएं प्राप्त कराई जाएंगी। 500 या इससे अधिक बीमा वाले कामगरों के सभी केन्द्र निगम के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे।

मालिक-मजदूर सम्बन्धों के क्षेत्र में स्वस्थ श्रमिक संघ आन्दोलन, सामूहिक समझौते और मालिकों तथा मजदूरों में परस्पर सहयोग से उत्पादन बढ़ाने आदि के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

रोजगार

विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप चौथी योजना की अवधि में रोजगार के काफी अवसर पैदा हो जाएंगे। योजना में अधिक बल ऐसी योजनाओं पर दिया गया है जिनमें अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके जैसे सड़कें बनाना, छोटी सिंचाई योजनाएं, भूमि संरक्षण, क्षेत्रीय विकास योजनाएं, ग्राम विद्युतीकरण और ग्राम्य तथा लघु उद्योग।

कृषि विकास की बढ़ती हुई गति से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की सम्भावना है तथा पहले से कृषि कार्य में लगे हुए लोगों को भी पूर्ण रोजगार मिलेगा।

पुनर्वास

योजना में बर्मा और श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले भारतीयों तथा पूर्व पाकिस्तान से आए विस्थापितों को जिन्हें इस समय सहायता शिविरों में रखा गया है (कुछ परिवारों को प० बंगाल में शिविरों से बाहर भी रखा गया है) कृषि तथा कृषि-इतर धन्धों में लगाने के लिए 66 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इन विस्थापितों के पुनर्वास के लिए दण्डकारण्य, अडमान-निकोबार द्वीप समूह में पुनर्वास योजना, विस्थापितों के प्रशिक्षण और पुनर्वास उद्योग निगम के कार्यक्रमों के लिए भी व्यवस्था की गई है।

क्षेत्रीय विकास तथा आवास

आवास तथा शहरी विकास के लिए योजना में 170 करोड 70 लाख रुपये की व्यवस्था है। इसमें से 136 करोड 70 लाख रुपये राज्यों के लिए और 34 करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा खर्च किए जाएगे।

राज्यों द्वारा खर्च किए जाने वाले परिव्यय का लगभग 30 प्रतिशत यानी लगभग 40 करोड़ रुपये कलकत्ता महानगर क्षेत्र के समेकित शहरी विकास पर खर्च किए जाएंगे। इनमें से 11 करोड़ रुपये जलापूर्ति योजनाओं मे और इतने ही जल-मल निकास व्यवस्था को सुधारने पर खर्च होंगे। 17 करोड़ रुपये परि-वहन पर और 1 करोड़ रुपये बस्ती सुधार पर खर्च जाएगे।

आवास के क्षेत्र में परियोजनाए कुछ सीमित क्षेत्र मे ही चलाई जाएगी। सरकारी क्षेत्र में तीसरी योजना के दौरान आवास पर कुल 300 करोड़ रुपये की राशि लगाई गई थी जबकि निजी क्षेत्र मे इस मद के लिए कुल पूंजी विनियाग 1,400 करोड़ रुपये का था। चौथी योजना मे निजी क्षेत्र मे होने वाले विनि-योग बढ़ कर लगभग 2,700 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है।

शहरी आवास के मामले में इस बात पर बल दिया जाएगा कि जमीन की कीमतें न बढ़ें। सहकारी तथा निजी प्रयास के लिए वित्तीय सहायता देने और गदी बस्तियो को सुधारने के कार्यक्रम चालू करने के उद्देश्य से कानून बनाए जाएंगे।

सस्ते मकानों की व्यवस्था के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। ऐसा इमारतो सामान की सप्लाई की समुचित व्यवस्था करके और सस्ते मकान वनाने की व्यावहारिक योजना वनाकर किया जाएगा।

गांवों में आवास की समस्या वहुत वड़ी है। इस दिशा में सरकार का यह काम होगा कि वह वढ़ने वाले गांवों के समुचित नक्शे वनवाए। जल तथा सफाई जैसी मूल सुविधाओं की व्यवस्था करे और नए मकान वनाने और पुराने मकानों को सुधारने के लिए निजी प्रयास को प्रोत्साहन दे। सहकारी क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।

जलापूर्ति तथा सफाई व्यवस्था

चौथी योजना में जलापूर्ति और सफाई व्यवस्था के लिए 339 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। जलापूर्ति योजनाओं के साथ-साथ जहां तक सम्भव हो सका, वड़े-वड़े शहरों में सफाई तथा जल-मल निकास की व्यवस्था को भी सुधारा जाएगा। अन्य शहरी क्षेत्रों में चालू योजनाओं को पूरा करने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। गन्दे पानी से फैलने वाले छूत के रोगों से आक्रांत इलाकों में कई नई योजनाएं चलाई जाएंगी।

ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति योजनाओं की स्थापना तथा सुधार के लिए जो 100 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है, उसका अधिकतर भाग पानी की भारी कमी वाले इलाकों में पानी की सुविधाएं प्राप्त कराने पर खर्च किया जाएगा।